[2022] 19 एस. सी. आर 1

बी. एस. मृत्यु और ओआरएस।

वी.

ए. रविंदर सिंह और हमारा।

(2009 की सिविल अपील सं. 3968)

15 मार्च, 2022

[उदय उमेश ललित, हेमंत गुप्ता और

एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

सेवा कानून केंद्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क समूह-सी

भर्ती नियम, 1979-केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षकों के पद पर अंतर-वरिष्ठता भर्ती का निर्धारण दो माध्यमों से किया गया थाः प्रत्यक्ष भर्ती और सेवा उम्मीदवारों से पदोन्नति-प्रत्यक्ष भर्ती निरीक्षकों (डी. आर. आई.) और पदोन्नत निरीक्षकों (पी. आर. आई.) के बीच अनुपात 3 थाः 1 – अंतर से वरिष्ठता को 22.12.1959 दिनांकित एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा नियंत्रित किया गया था -

इस आधार पर कि वरिष्ठता तय करते समय उनकी निरंतर सेवा की अवधि को ध्यान में नहीं रखा गया था-कैट ने विभाग को 1986 के ओ. एम. के अनुसार वरिष्ठता का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया - कैट ने मामलों के समूह को एक पूर्ण पीठ के पास भेजा, इस मुद्दे पर कि क्या 1986 का ओ. एम. संभावित था या पूर्वव्यापी-पूर्ण पीठ ने अपने आदेश द्वारा स्पष्ट किया कि 1986 का ओ. एम. केवल संभावित रूप से संचालित था।

1.3.1986 – न्यायाधिकरण की 1993 की वरिष्ठता सूची के निष्कर्षों के आधार पर रद्द कर दिया गया था-कैडर नियंत्रण प्राधिकरण ने 01.01.2022 पर एक अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रसारित की जिसे अंततः 7.8.2002 पर प्रकाशित किया गया था।

इस सूची को पी. आर. आई. द्वारा चुनौती दी गई थी और कैट ने इसकी अनुमति दी थी।

आवेदनों और वरिष्ठता सूची को दरकिनार करते हुए-केंद्र सरकार और डी. आर. आई. ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने कहा कि रिक्तियों के रजिस्टर की सेवा में उम्मीदवारों की पदोन्नति के उद्देश्य से कोई प्रासंगिकता नहीं है और इस तरह की पदोन्नति केवल कोटा के अनुपात में हो सकती है, जो सीधे भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ विभाग द्वारा दिए गए इंडेंट के आधार पर हो सकती है-निरंतर सेवा की अवधि को वरिष्ठता के उद्देश्य से नहीं गिना जा सकता है।

- इसने दिनांकित 22.07.2002 की आक्षेपित वरिष्ठता सूची को बरकरार रखा-पी. आर. आई. एस. द्वारा अपील में, मुख्य मुद्दा 1986 के ओ. एम. के खंड 4 और 5 के आवेदन के संबंध में था, क्या पी. आर. आई. एस. का अनुपात होना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. आर. आई. के लिए इंडेंट रिक्तियों के संबंध में तैयार किया गया-आयोजितः किसी एक चैनल से कोई भी नियुक्त व्यक्ति (प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति) अपनी नियुक्ति से पहले की तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है।

1986 के ओ. एम. के पैरा 5 का उद्देश्य एक आकस्मिकता को पूरा करना था जो सार्वजनिक सेवा में सीधी भर्ती रिक्तियों को कम करने की है।

आयोग जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नति के लिए एक अनुचित लाभ हुआ जो इस तरह की सीधी भर्तियों पर "एक मार्च चोरी" करेगा, नियुक्त किया गया

बाद में-ऐसी आकस्मिकताओं में, यानी कम रिपोर्टिंग वाली रिक्तियों में, पदोन्नति को तदर्थ मानने के परिणाम का सहारा लिया जा सकता था-रिकॉर्ड पर सामग्री से संकेत मिलता है कि पदोन्नति रिक्तियां मौजूद थीं, प्रासंगिक अवधि में, सीधी भर्ती पर प्रतिबंध था-उस अवधि के दौरान, एस. एस. सी. को सीधी भर्ती रिक्तियों को भरने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर गलत था कि 1986 के पैरा 5 के आधार पर

ओ. एम. उसी अवधि के दौरान की गई पदोन्नति को कोटा से अधिक माना जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रत्यक्ष भर्ती की मांग के अनुपात में नहीं थे-उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण गलत है और यह जानबूझकर कम रिपोर्टिंग के साथ वित्तीय या अन्य मजबूरियों के कारण रिक्तियों को नहीं भरने की कार्यकारी नीति की बराबरी करता है-तत्काल मामले में, एस. एस. सी. के माध्यम से सीधी भर्ती का सहारा प्रतिबंध के कारण नहीं लिया गया था, न कि कम रिपोर्टिंग के कारण-इस प्रकार पैरा 5 के तहत परिकल्पित आकस्मिकता कभी नहीं उदय हुआ-न केवल पदोन्नति कोटा के भीतर की गई थी, और नियमित थी, पदोन्नति कोटा के भीतर नियमित रिक्तियां थीं-1983 की अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त पदोन्नति नहीं हुई और

1991 – डी. आर. आई. की भर्ती के लिए एस. एस. सी. के साथ दिए गए संकेत/आवश्यकताएं रिक्तियों के एक हिस्से के लिए थीं, न कि प्रत्येक वर्ष उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सटीक 75 प्रतिशत के लिए।

प्रत्यक्ष भर्तियों की नियुक्ति वरिष्ठता की गणना के लिए तिथि-यह भर्ती अधिकारियों से डोजियर की प्राप्ति की तारीख या सिफारिश की तारीख से नहीं है-इसके परिणामस्वरूप आई. डी. 2 के बाद नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता को केवल उनकी संबंधित नियुक्तियों की तारीख से संशोधित किया जाना है, लेकिन इससे पहले नहीं, आई. डी. 1 जैसा कि विवादित वरिष्ठता सूची में किया गया था-जो उनके लिए उपलब्ध रिक्तियों में किसी भी वर्ष में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए गए थे, वे अपने निरंतर कार्यकाल की तारीख से वरिष्ठता के लिए पात्र थे, यदि उन्हें भर्ती नियमों के तहत उस वर्ष के अपने योग्य कोटे के भीतर पदोन्नत किया गया था-परिणामी कार्रवाई, बी. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस. में अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के माध्यम से।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा।

वर्तमान निष्कर्षों के अनुसार, तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

पी. आर. आई. द्वारा अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा संबंधित है

1979 के नियमों की पृष्ठभूमि में 1986 के ओ. एम. के खंड 4 और 5 का अनुप्रयोग, जिसमें प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत और पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत का प्रावधान है। 1986 के ओ. एम. ने बंचिंग नियम के साथ कोटा के रोटेशन का सिद्धांत पेश किया। इस मामले में सवाल यह है कि क्या डी. आर. आई. के लिए इंडेंट रिक्तियों के संबंध में पी. आर. आई. एस. का अनुपात निकाला जाना है। से बाहर गिरना

सूची तैयार करने का यह तरीका यह है कि यदि किसी विशेष वर्ष में डी. आर. आई. के लिए इंडेंट रिक्तियों की संख्या कम है या रिक्तियों की सूचना दी जाती है तो पी. आर. आई. 1979 के नियमों के तहत दिए गए वरिष्ठता के अपने अधिकार को खो देते हैं। [पारस 33,34 और 35] [25-बी-डी, एफ-जी]

2. दो निर्णयों (अघोर नाथ डे और सूरज प्रकाश गुप्ता) में पदोन्नति नियमों की अवहेलना में की गई थी; यहां तक कि उनके कोटे से अधिक, और प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के खिलाफ। अघोर नाथ डे में, पदोन्नति पाने वाले का दावा उनके नियमितीकरण से पहले वरिष्ठता का था-जिसे एक विशेष नियम के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जिसे संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। दावा यह था कि पदोन्नति पाने वालों को वरिष्ठता दी जानी चाहिए, प्रत्यक्ष भर्तियों पर, जिन्हें पहले नियुक्त किया गया था। सूरज प्रकाश गुप्ता में, पदोन्नति कोटा से अधिक की गई थी और जो पद सीधी भर्ती के कारण गिरने चाहिए थे, उनके कोटे में। इन निर्णयों में अनुपात लागू नहीं होता है, क्योंकि संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है।

कि पदोन्नति (जिन्हें 1988 में नियमित किया गया था) उनकी सीमा को पार कर गए थे कोटा। इसके अलावा, विभाग की दलील, विशेष रूप से स्वीकार करती है कि पदोन्नतियों को पी. आर. आई. कोटे के लिए उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था। [पैरा 51] [31-बी-डी]

3. अदालत, के. वी. सुब्बा राव और अन्य में। वी. आंध्र प्रदेश सरकार ने माना कि पदोन्नति और वरिष्ठता होगी

नियुक्ति की तारीख से गणना की गई, पूर्वव्यापी रूप से नहीं

वह तिथि जब रिक्तता उत्पन्न हुई। अदालत ने एम. सुब्बा रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम मामले में एक स्थिति पर विचार किया।

जहाँ विभागीय उम्मीदवारों को सीधी भर्ती रिक्तियों के खिलाफ तदर्थ पदोन्नति दी गई थी जब सीधी भर्ती पर प्रतिबंध [2022] 19 एस. सी. आर.

बल में था। बाद में (इस तरह की पदोन्नति के) नियमितीकरण पर यह तर्क दिया गया कि नियमितीकरण वापस संबंधित थे और पदोन्नति प्राप्त करने वालों को प्रत्यक्ष भर्तियों पर वरिष्ठता दी जानी थी।

4. किसी भी एक चैनल (प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति) से कोई भी नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति से पहले की तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है। पैरा 5 (जो उच्च न्यायालय के फैसले का आधार रहा है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि पी. आर. आई. अपने कोटे से अधिक थे) एक आकस्मिकता को पूरा करने के लिए था जो लोक सेवा आयोग (इस मामले में, एस. एस. सी.) को सीधी भर्ती रिक्तियों की रिपोर्ट करने के तहत है, जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नतियों के लिए एक अनुचित लाभ हुआ जो बाद में नियुक्त की गई ऐसी सीधी भर्तियों पर "एक मार्च चोरी" करेंगे। ऐसी आकस्मिकताओं में, यानी रिक्तियों की कम रिपोर्टिंग के कारण, पदोन्नति को तदर्थ मानने के परिणाम का सहारा लिया जा सकता था। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से संकेत मिलता है कि प्रासंगिक अवधि में पदोन्नति रिक्तियां मौजूद थीं। सीधी भर्ती पर प्रतिबंध था। प्रतिबंध के कारण अब अस्पष्ट हैं; लेकिन तथ्य यह है कि यह छह साल से लागू था। (1984-90) . इस अवधि के दौरान, निस्संदेह, सीधी भर्ती रिक्तियों को भरने के लिए एस. एस. सी. से कोई अनुरोध नहीं किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा लागू रैखिक तर्क, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि 1986 के ओ. एम. के पैरा 5 के आधार पर, इसी अवधि के दौरान की गई पदोन्नति को कोटा से अधिक माना जाना था, क्योंकि वे सीधे भर्ती के लिए आवश्यकताओं के अनुपात में नहीं थे। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि यह समान है।

कार्यकारी नीति-जानबूझकर कम रिपोर्ट करने के साथ वित्तीय या अन्य मजबूरियों के कारण रिक्तियों को नहीं भरने का अर्थ पी. आर. आई. को अनुचित लाभ पहुंचाना है। वर्तमान मामले में, एस. एस. सी. के माध्यम से सीधी भर्ती का सहारा नहीं लिया गया

प्रतिबंध के कारण, और कम रिपोर्टिंग के कारण नहीं। इस प्रकार, पैरा 5 में देखी गई आकस्मिकता कभी उत्पन्न नहीं हुई। पदोन्नति न केवल कोटा के भीतर की गई थी, और नियमित थी (क्योंकि वे विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही से पहले थे, और 1988 में नियमितीकरण में समाप्त हुए थे), बी. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस थे।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा।

वास्तव में नियमित रिक्तियां, पदोन्नति कोटे के भीतर। [पैरा 56, 58 और 59] [37-सी; 38-सी-डी, जी-एच; 39-ए-सी]

5. पी. आर. आई. रिक्तियों का अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण है।

तथ्य-जैसा कि आर. टी. आई. प्रश्नों के उत्तरों से देखा जा सकता है। वे रिक्तियां 25 प्रतिशत कोटे के संदर्भ में पी. आर. आई. के हिस्से में आ गईं।

वैधानिक नियमों के तहत उनके लिए निर्धारित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, यह कहना कि डी. पी. सी. का सहारा लेकर पदोन्नत किए गए और बाद में नियमित किए गए लोगों को तदर्थ पदोन्नति के रूप में माना जाना चाहिए, व्यक्त नियमों के विपरीत होगा। दूसरे शब्दों में, 1986 के ओ. एम. के पैरा 5 को प्रभावी बनाकर (और पदोन्नति को अंतर-वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिए तदर्थ के रूप में मानते हुए), वैधानिक नियमों को वस्तुतः मंजूरी दे दी जाती है। यह 1986 के ओ. एम. के पैरा 3 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले घोषित उद्देश्य के विपरीत भी है, जो कि "बाद के वर्षों में सीधी भर्तियों द्वारा भरे जाने के लिए खाली स्थानों को रखने की वर्तमान प्रथा है, जिससे उन्हें पहले से ही पद पर पदोन्नत लोगों पर अनपेक्षित वरिष्ठता दी जाएगी"। इसलिए न्यायालय के समक्ष पी. आर. आई. की पदोन्नति को इस रूप में माना जाना चाहिए

इन पहलुओं की अनदेखी करने में उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। [पैरा 60] [39-डी-एफ] 6. दूसरा पहलू-जिसे उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया, वह यह है कि कोटा में से कई रिक्तियों को भरा गया था।

7. उच्च न्यायालय ने कैट के आदेश को रद्द करने में गलती की, जिसे बहाल कर दिया गया है। यह माना जाता है कि (i) 1983 और 1991 की अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त पदोन्नति नहीं हुई। वास्तविक का 25 प्रतिशत उस अवधि के दौरान हर साल होने वाली रिक्तियां पदोन्नति पाने वालों के लिए थीं। किसी भी वर्ष के लिए कोई सीधी भर्ती रिक्ति नहीं भरी गई थी

बढ़ावा देते हैं। (ii) [2022] 19 एस. सी. आर. के लिए एस. एस. सी. के साथ दिए गए संकेत/आवश्यकताएँ।

वरिष्ठता केवल उस वर्ष में, लेकिन इससे पहले नहीं, या 1991 में, जैसा कि विवादित वरिष्ठता सूची में गलती से किया गया था; (vi) जिनके लिए उपलब्ध रिक्तियों में किसी भी वर्ष में तदर्थ आधार पर पदोन्नति दी गई हो। यदि उन्हें भर्ती नियमों के तहत उस वर्ष के उनके योग्य कोटे के भीतर पदोन्नत किया गया था, तो वे अपने निरंतर कार्यकाल की तारीख से वरिष्ठता के लिए पात्र थे। विवादित निर्णय और आदेश को तदनुसार अलग कर दिया जाता है; पी. आर. आई. द्वारा अपील की अनुमति अदालत के निष्कर्षों के संदर्भ में दी जाती है। द.

निष्कर्षों के अनुसार, अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के माध्यम से परिणामी कार्रवाई तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी। [पारस 62 और 63] [40-बी-एच; 41-ए, डी]

पवन प्रताप सिंह बनाम। रीवन सिंह (2011) 3 एससीसी 267 [2011] 2 एससीआर 831; पी सुधाकर राव और अन्य। बनाम यू. गोविंदा राव और अन्य (2013) 8 एससीसी 693: [2013] 13 एस. सी. आर. 540 पर भरोसा किया।

देविंद्र प्रसाद शर्मा बनाम मिजोरम राज्य (1997) 4 एस. सी. सी. 422 [1997] 2 एस. सी. आर. 930; के. वी. सुब्बा राव और अन्य।

बी. एस. मृत्यु और ओआरएस। वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा।

वी. आंध्र प्रदेश सरकार (1988) 2 एससीसी 201:

[1988] 2 एससीआर 1118; एम. निर्मला बनाम। एपी राज्य (1986) 3

एससीसी 647: [1986] 3 एससीआर 507; एम. सुब्बा रेड्डी बनाम। एपी.

राज्य सड़क परिवहन निगम (2004) 6 एस. सी. सी. 729:

[2004] पूरक 2 एस. सी. आर. 7; उत्तरांचल राज्य और अन्य। वी.

दिनेश कुमार शर्मा (2007) 1 एससीसी 683: [2006] सप्लीमेंट

10 एस. सी. आर. 1; ए. एफ. एच. क्यू./आई. एस. ओ. एस. एस. ओ. एस. (डी. पी.) एसोसिएशन और अन्य।

V. भारत संघ (UOI) और अन्य (2008) 3 SCC 331: [2008] 2 एससीआर 1183; यू. पी. राज्य बनाम अशोक कुमार

श्रीवास्तव (2014) 14 एस. सी. सी. 720 [2013] 11 एस. सी. आर. 846;

के. मेघचंद्र सिंह बनाम निंगम सिरो (2020) 5 एससीसी

689 [2019] 16 एससीआर 651; दिनेश कुमार गुप्ता और ओट्स

उच्च न्यायालय, राजस्थान 2020 एस. सी. सी.

ऑनलाइन (एससी) 420: [2020] 10 एस. सी. आर. 497; सीधी भर्ती

द्वितीय श्रेणी इंजीनियरिंग। ऑफिसर्स एसोसिएशन। वी. महाराष्ट्र राज्य

(1990) 2 एससीसी 715: [1990] 2 एस. सी. आर. 900-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

अप्रयोज्य रखा गया

1997] 2 एससीआर 930

पै

रा 27

अप्रयोज्य रखा गया

2000] 3 एससीआर 807

पै

रा 27

1988] 2 एससीआर 1118

संदर्भित किया गया है

पै

रा 52

1986] 3 एससीआर 507

संदर्भित किया गया है

पै

रा 52

2004] पूरक 2 एससीआर 7

संदर्भित किया गया है

पै

रा 53

2006] पूरक 10 एस. सी. आर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 54

2008] 2 एससीआर 1183

संदर्भित किया गया है

पै

रा 54

उस पर भरोसा करें

2011] 2 एससीआर 831

पै

रा 54

1990] 2 एससीआर 900

पै

रा 54

संदर्भित किया गया है

2013] 13 एससीआर 540

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 39

2009 में।

उच्च निगम के 16.03.2005 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डब्ल्यू. पी. संख्या 11620 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की न्यायपालिका

2004 .

[2022

] 19 एस. सी. आर. के साथ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., वी. गिरि, आर. बाला, ए. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वडलामणि शेषगिरी, आदिश राजवंशी, सिद्धार्थ सच्चर, श्रेयस शंकर जोशी, श्रीमती बेला माहेश्वरी, सुश्री सुनीता रानी सिंह, सुश्री रेखा पांडे, बी. कृष्ण प्रसाद, बी. वी. बलरामदास, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. अपीलार्थी आंध्र प्रदेश के पूर्ववर्ती एकीकृत उच्च न्यायालय के कई रिटों में एक सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित हैं।

याचिकाएँ। 1 उच्च न्यायालय ने उन रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और दस मूल आवेदनों के एक समूह में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश 2 को रद्द कर दिया। कैट के आदेश ने उन आवेदनों को अनुमति दी थी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षकों की अंतर वरिष्ठता के उचित निर्धारण का निर्देश दिया था, जैसा कि प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के बीच होता है। पदोन्नति निरीक्षक व्यथित हैं और इस अदालत के समक्ष अपीलार्थी हैं।

1 W.P.Nos.11620/2004,10601/2004; 13525/2004,12970/2004,21863/2004,1834/2005,1836/2005,2005 का 1838,1858/2005,1861/2005,2011/2005,1348/2005,1849/2004, W. P. No.6098/2005,6099/2005; 6100/2005, और 6097/2005; सभी 16.03.2005 पर तय किए गए थे।

2 दिनांक 29.12.2003 बी. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस. वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रत्यक्ष भर्ती निरीक्षकों (डी. आर. आई. एस.) और प्रोन्नति निरीक्षकों (पी. आर. आई.) की पारस्परिक श्रेष्ठता का निर्धारण। वरिष्ठता सूचियाँ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों के आधार पर तैयार की जाती थीं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अंतर वरिष्ठता शासित थी।

एक कार्यालय ज्ञापन 3 दिनांक 22.12.1959 (इसके बाद "1959 OM") द्वारा विभिन्न श्रेणियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

केंद्रीय सचिवालय में कर्मचारी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने भी इसका पालन किया। 1959 के ओ. एम. ने निर्धारित किया कि वरिष्ठता प्रारंभिक नियुक्ति के समय संकेतित आदेश द्वारा निर्धारित की जाती थी (और पुष्टि की तारीख नहीं)। प्रत्येक श्रेणी के स्थायी अधिकारियों को उस श्रेणी में कार्य करने वालों से वरिष्ठ दर्जा दिया जाना था। प्रत्यक्ष भर्तियों की अंतर वरिष्ठता का निर्धारण योग्यता के उस क्रम से किया जाना था जिसमें उन्हें इस तरह की नियुक्ति के लिए चुना जाता है।

U.P.S.C. या ऐसा चयन प्राधिकरण। 1959 ओ. एम. के पैरा 2-5 ने प्रत्यक्ष भर्तियों की अंतर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सिद्धांत प्रदान किए और बढ़ावा देते हैं। अनुभव के आलोक में, 1959 के ओ. एम. को बदल दिया गया था, और एक और ओ. एम. 07.02.19864 (इसके बाद "1986 ओ. एम".) पर जारी किया गया था।

1983-1984 विभाग द्वारा जारी अंतर वरिष्ठता सूची दिनांक 08.07.1985 (इसके बाद "1985 की सूची") को इस आधार पर चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया गया कि वरिष्ठता तय करते समय उनकी निरंतर सेवा की अवधि को ध्यान में नहीं रखा गया था। हालाँकि इस आवेदन में सीधे भर्ती करने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था; इसे 05.07.1988 (इसके बाद "कैट 1988 आदेश") पर अनुमति दी गई थी। कैट ने प्रभावित पक्षों को नोटिस देने के बाद विभाग को 1986 के ओ. एम. के अनुसार वरिष्ठता का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया। इसके बाद एक संशोधित सूची जारी की गई। डी. आर. आई., जिनकी वरिष्ठता संशोधित वरिष्ठता सूची से प्रभावित हुई थी, ने समीक्षा दायर की निपटाए गए आवेदनों में आवेदन। कैट ने अपने मुख्य को दोहराया

आदेश, दिनांक 05.07.1998 (इसके बाद "कैट समीक्षा आदेश")। इसके बाद विभाग ने 30.4.1993 (इसके बाद "1993 की अंतिम सूची") पर एक अंतिम वरिष्ठता सूची (1.1.1992 के अनुसार) जारी की। 1986 से पहले पदोन्नत किए गए लोगों ने विभाग से कैट के 1998 के आदेश के अनुसार अपनी वरिष्ठता तय करने का भी अनुरोध किया। 3 कार्यालय ज्ञापन सं. 9/11/55 आर. एस. पी. दिनांकितः 22.12.1959 4 ओ. एम. सं. 35014/2/80-अनुमान। (डी), दिनांकः 7.2.1986 5 0. ए. एन. ओ. 156/1986

6 आर. ए. सं. 29/1994 आदि।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. कैट का 1998 का आदेश 1986 के ओ. एम. के संदर्भ में था, जो 1986 से पहले के पी. आर. आई. पर लागू था। इसके बाद, मामला केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ("सीबीईसी") को भेजा गया, जिसने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि 1986 ओ. एम. में अधिसूचित वरिष्ठता के निर्धारण की प्रक्रिया 1986 से पहले के पदोन्नतियों पर भी लागू की जानी थी। 1986 ओ. एम. की तर्ज पर 1986 से पहले नियुक्त अधिकारियों के संबंध में एक वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी। इस बिंदु पर, डी. आर. आई. ने 1993 की अंतिम सूची के खिलाफ आर. ए. संख्या 103/1993 में समीक्षा आवेदन दायर किया।

5. कैट ने एक आदेश में अपने पिछले फैसले के आधार पर संदेह व्यक्त किया और इस मुद्दे पर मामलों के समूह को एक पूर्ण पीठ के पास भेज दिया -

चाहे 1986 का ओ. एम. संभावित था या पूर्वव्यापी। पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 1986 का ओ. एम. केवल संभावित रूप से संचालित होता है। 1.3.1986 . पूर्ण पीठ के निष्कर्ष के आधार पर, न्यायाधिकरण ने ओ. ए. सं. के साथ समीक्षा आवेदनों की सुनवाई की। 1323 / 1993 , 285 / 1994 और ओए 906/1994। यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने O.A.NO. 156/1986 में कैट के आदेश के खिलाफ इस अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी, जिसे समय-वर्जित के रूप में खारिज कर दिया गया था।

6. न्यायाधिकरण ने मामले पर विचार किया और मामलों का निपटारा किया गया

निम्नलिखित निष्कर्षों को दर्ज करते हुए 13.2.1997 दिनांकित एक सामान्य आदेश द्वाराः

ओ. एम. दिनांकितः 07.02.1986 संभावित था;

((i)

पूर्व-07.02.1986 अंतर-वरिष्ठता को विनियमित किया जाना था

((ख)

1959 ओ. एम. के अनुसार;

(iii)

कोटा नियम का कोई उल्लंघन नहीं थाः 1959 ओ. एम. इसका पालन किया जाना था।

(iv) उन लोगों के मामले जो इससे पहले निरीक्षकों के रूप में कार्य कर रहे थे

01.03.1986 लेकिन उस तारीख के बाद नियमित करने की प्रकृति निर्धारित करने के बाद व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेना पड़ा

कार्यपालन, पद की प्रकृति, (जो कार्यपालन से संबंधित है) और 1959 के ओ. एम. के प्रावधान और

सामान्यीकृत।

(v)

पूर्व 01.03.1986 मामले जहाँ चयन प्रक्रिया-प्रत्यक्ष के लिए भर्ती-लेकिन उसके बाद कहाँ नियुक्ति की गई थी

तारीख ओ. एम. द्वारा दिनांकित की गई थीः 7.2.1986 .

7. इन निष्कर्षों के आधार पर, 1993 की अंतिम सूची को रद्द कर दिया गया था; विभाग को नए सिरे से एक और सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

बी. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस. का पालन करना। वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आदेश में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। विशेष प्रकोष्ठ की सिफारिशों के आधार पर एक नई अंतिम वरिष्ठता सूची (दिनांक 15.10.1997-इसके बाद "1997 सूची") जारी की गई थी; इसे 1.1.1992 पर अंतिम घोषित किया गया था। यह 1997 की अंतिम वरिष्ठता सूची आरए 56/1998 में O.A.No.1323/1993 में जांच का विषय बन गई।

पीआरआई। इन समीक्षा आवेदनों को 27.8.1999 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालांकि कैट की राय थी कि मामले को लंबे समय से लंबित मुद्दे पर एक शांति प्राप्त करनी होगी; इसने डीआरआई और पदोन्नति के प्रतिनिधियों को विधिवत संबद्ध करने के लिए सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ आयुक्त से बनी समिति के गठन का सुझाव दिया। किसी भी मतभेद को नोट में दर्ज किया जाना था और अंतिम निर्णय मुख्य आयुक्त पर छोड़ दिया जाना था, जो कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है।

8. आदेश के अनुपालन में एक समिति का गठन किया गया। इस बीच, कैट ने लंबित कार्यवाही का निपटारा कर दिया।

30.3.20007 वरिष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में विभाग द्वारा स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान देना, इस प्रस्तुति के आधार पर कि अंतिम

मुख्य आयुक्त के फैसले का इंतजार था।

9. कैडर नियंत्रण प्राधिकरण ने समिति द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची पर विचार करते हुए एक अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रसारित की 01.01.2002 आपत्तियों का आह्वान करना। इन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और अंतिम वरिष्ठता सूची 7.8.2002 पर प्रकाशित की गई। इस सूची पर पदोन्नति पाने वालों द्वारा सवाल उठाए गए थे, जिन्होंने ओ. ए. संख्या 938/2002 आदि दायर की थी। पी. आर. आई. एस. की दलील थी कि वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया गया था जो सी. ए. टी. द्वारा 1323/1993 में जारी निर्देशों के साथ-साथ 1959 और 1986 के ओ. एम. के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। विभाग के साथ-साथ अनौपचारिक उत्तरदाताओं, यानी डी. आर. आई. ने कार्यवाही का विरोध किया। विभाग की स्थिति यह थी कि अपनाई गई प्रक्रिया नियमों के अनुसार वैध थी और समय-समय पर रिक्ति की स्थिति को ध्यान में रखा जाता था। डी. आर. आई. एस. ने तर्क दिया कि वास्तव में पी. आर. आई. ने 25 प्रतिशत से अधिक कोटा पर कब्जा कर लिया था और मुकदमेबाजी को अनावश्यक रूप से जारी रखा गया था।

10. कैट ने अपने दिनांकित 29.12.2000 के आदेश में प्रस्तुतियों और अभिलेख पर विचार किया और कहा किः

(i) कार्यालय में बनाए रखा गया और हैदराबाद-I आयुक्तालय को भेजा गया निरीक्षकों का प्रत्यक्ष भर्ती/पदोन्नति रजिस्टर एक प्रामाणिक दस्तावेज था जो खुलासा करता है।

1 0. ए. नहीं। 429/1998 , जिसने 1997 [2022] 19 एस. सी. आर. की अंतिम सूची को चुनौती दी।

इस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाली वास्तविक रिक्तियां

1984-1991 से और 3 का सटीक अनुपातः 1 क्रमशः डी. आर. और पी. आर. कोटा;

((ii) वर्ष 1983 से 1991 के दौरान कोई अतिरिक्त पदोन्नति नहीं थी; इस अवधि के दौरान हर वर्ष होने वाली वास्तविक रिक्तियों का 25 प्रतिशत

वह अवधि पदोन्नति पाने वालों के लिए थी। किसी भी वर्ष के लिए कोई सीधी भर्ती रिक्ति पदोन्नतियों द्वारा नहीं भरी गई थी; (iii) डी. आर. की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग के साथ दिए गए अनुबंध केवल रिक्तियों के एक हिस्से (आंशिक, प्रतिबंध आदि के कारण) के लिए थे, न कि प्रत्येक वर्ष उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सटीक 75 प्रतिशत के लिए। वहाँ कोई नहीं था

रिक्तियों के दमन या कम रिपोर्टिंग के उदाहरण

पदोन्नति पाने वालों की सहायता के लिए किसी भी वर्ष स्थायी संवर्ग की संख्या से सीधे भर्ती के लिए उपलब्ध है। परिणामस्वरूप 1986 के ओ. एम. के पैरा 5 को लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। द.

विभाग ने गलत तरीके से यह अनुमान लगाया कि सीधी भर्ती के लिए दिए गए इंडेंट के आधार पर प्रोन्नति कोटा का गलत अनुमान लगाकर अतिरिक्त पदोन्नति की गई थी।

(iv) (ए) सीधी भर्तियों की नियुक्ति की तारीख वरिष्ठता की गिनती की तारीख-यह नियुक्ति की प्राप्ति की तारीख से नहीं है।

सिफारिश करें। प्रत्यक्ष भर्तियों की परिणामी वरिष्ठता 1.3.86 के बाद नियुक्तियों को केवल उनकी संबंधित नियुक्तियों की तारीख से संशोधित किया जाना है, लेकिन इससे पहले 1.3.1986 नहीं किया जाना है, जैसा कि विवादित वरिष्ठता सूची में गलत तरीके से किया गया है।

(ख) 1992 की सीधी भर्तियों को केवल उसी वर्ष वरिष्ठता दी जानी थी, लेकिन 1991 में नहीं, जैसा कि विवादित वरिष्ठता सूची में गलत तरीके से किया गया था।

(v) O.A.NO में पाँच आवेदकों की वरिष्ठता। मूल रूप से आदेश के संदर्भ में तय किया गया था, बहाल किया जाना था और

बदला नहीं जा सका।

(vi) जो लोग अपने लिए उपलब्ध रिक्तियों में किसी भी वर्ष तदर्थ आधार पर पदोन्नत हुए थे, वे अपने निरंतर कार्यकाल की तारीख से वरिष्ठता के लिए पात्र थे, यदि-उन्हें भर्ती नियमों के तहत उस वर्ष के अपने योग्य कोटे के भीतर पदोन्नत किया गया था;

(vii) शिलांग से बदले गए 17 पदों के विरुद्ध 1983 में पदोन्नत किए गए लोग 1959 ओ. एम. के संदर्भ में वरिष्ठता के हकदार थे। बी. एस. मृत्यु और ओआरएस।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(viii) 27.10.1988 पर नियमित किए गए 137 पदोन्नतियों में से, उन आवेदकों की वरिष्ठता 1985 में पहले के आदेश के तहत नियमित की गई थी। 1.3.1986 से पहले, उक्त पूर्व तिथि पर तय किया जाना है

1985 में उनका नियमितीकरण;

(ix) अस्थायी पदों पर काम करने वाले पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों की वरिष्ठता जो संवर्ग का हिस्सा नहीं हैं, की तारीख से तय की जानी है।

पदोन्नति/नियुक्ति।

11. तदनुसार, कैट ने आवेदनों की अनुमति दी और 01.01.2002 पर तैयार की गई वरिष्ठता सूची को अलग कर दिया। विभाग को निर्देश दिया गया था कि वह O.A.NO में 13.2.1997 दिनांकित आदेश और निष्कर्षों के अनुरूप निरीक्षकों के संवर्ग में वरिष्ठता सूची को संशोधित और संशोधित करे। डी. आर. आई. और पी. आर. आई. को 3 के अनुपात में काम करने के लिए प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की एक निश्चित संख्या के लिए एक और निर्देशः 1 कार्यालय में रखे गए प्रामाणिक अभिलेखों के आधार पर 1991-1994 के दौरान बनाए गए प्रत्यक्ष भर्ती/पदोन्नति रजिस्टर के साथ-साथ 1999 के बाद की शेष अवधि के आधार पर जारी किया गया था।

12. सी. ए. टी. के दिनांकित 29.12.2003 के आदेश से डी. आर. आई. और

केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसके परिणामस्वरूप विवादित निर्णय आया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सेवाकालीन उम्मीदवारों की पदोन्नति के उद्देश्य से रिक्ति रजिस्टर की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इस तरह की पदोन्नति केवल संबंधित कोटे के अनुपात में हो सकती है, जो सीधे भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ विभाग द्वारा दिए गए अनुरोधों पर आधारित है। इसने यह भी माना कि नियमित करने के बाद निरंतर सेवा की अवधि को वरिष्ठता के उद्देश्य से नहीं गिना जा सकता है क्योंकि कोटा नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था। इसने यह भी माना कि पदोन्नत निरीक्षकों द्वारा आवेदनों में 1986 के ओ. एम. की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए इसने दिनांकित 22.07.2002 की आक्षेपित वरिष्ठता सूची को बरकरार रखा।

अपीलार्थी के तर्क-पी. आर. आई. एस.

13. पी. आर. आई. की ओर से उनके वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत ने आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि अध्यक्ष (सी. ए. टी. की) पूर्ण पीठ के निर्णय के अनुसरण में गठित समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट मुख्य आयुक्त को दिनांकित 28.3.2000 के पत्र द्वारा प्रस्तुत की जिसमें सुझाव दिया गया था कि सीधी भर्ती/प्रोन्नति रजिस्टर

1884 से 1996 तक रखे गए निरीक्षकों को आधार के रूप में लिया जाना चाहिए। 8
C.No.11/39/92/99-अनुमान।

, दिनांक

28.3.2000 [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1986 ओ. एम. के संदर्भ में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए वर्षवार रिक्तियों की संख्या तक पहुंचना। रिक्तियों की गणना की विधि

यह रिक्ति रजिस्टर पर आधारित होना चाहिए। रिपोर्ट का सार इस प्रकार हैः

" मैंने 'डी. आर./प्रोमोटरी रजिस्टर ऑफ इन्स्पेक्टर' को देखा है।

हैदराबाद जिसे अग्रेषित किया गया है

आयुक्तालय। इसे व्यवस्थित रूप से 3 के सटीक अनुपात को दर्शाते हुए बनाए रखा गया हैः 1 जैसा कि ओ. एम. दिनांक 22.12.1959 और ओ. एम. दिनांक 7.2.1986 में दिया गया है। इसलिए, इस रजिस्टर की प्रामाणिकता पर संदेह करने की बहुत कम गुंजाइश है, हालांकि हस्ताक्षर संलग्न किए गए हैं। इसके अलावा, इसे हैदराबाद आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त (एफ एंड वी) द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है क्योंकि अब जब यह रजिस्टर उपलब्ध है, तो हैदराबाद आयुक्तालय की स्थापना में बनाए रखा गया है, किसी भी धारणा या सिद्धांत के आधार पर रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिए इसके द्वारा जाना बेहतर होगा।

वरिष्ठता सूची तैयार की जानी है।

14. यह प्रस्तुत किया गया कि समिति के अध्यक्ष ने मुख्य आयुक्त को अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें स्पष्ट किया गया कि पी. आर. आई. कोटे पर पहुंचने के लिए नियुक्त डी. आर. आई. की वास्तविक संख्या लेने का विशेष प्रकोष्ठ का सूत्र संकीर्ण था। इसके बजाय, इसने कर्मचारी चयन आयोग (एस. एस. सी.) को दी गई नियुक्तियों के साथ अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्तियों, अंतर-आयुक्तालय स्थानान्तरण, खेल कोटा और अधिशेष प्रकोष्ठ जो प्रत्यक्ष भर्ती की प्रकृति में थे, को सीधे भर्ती रिक्तियों की संख्या तक पहुंचने के आधार के रूप में लेने और 3 के अनुपात तक पहुँचकर पी. आर. आई. कोटा तक पहुँचने का सुझाव दियाः 1 .

15. श्री बसंत ने आग्रह किया कि जनवरी 2002 की वरिष्ठता सूची ने कैट के पिछले निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो प्राप्त हो गए थे। अंतिम रूप से, और 1986 के ओ. एम. को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए आगे बढ़े

यह विचार किए बिना कि अधिकांश ऐसे पी. आर. आई. वास्तव में नियमों के तहत उनके लिए उपलब्ध कोटे के भीतर पदोन्नत किए गए थे, 1986 से पहले के पी. आर. आई. के साथ-साथ तदर्थ पी. आर. आई. एस. तक। यह प्रस्तुत किया गया कि विभाग ने दो मुख्य तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया, पहला, कि 110 नियुक्तियां की गईं, जो केवल प्रत्यक्ष भर्ती कोटे (जैसे खेल कोटा, अनुकंपा नियुक्तियां और अंतर आयुक्तालय स्थानान्तरण) के खिलाफ समायोज्य थीं। दूसरा, प्रतिबंध का अस्तित्व-हालांकि आंशिक प्रकृति का, प्रत्यक्ष भर्ती को रोकना, एक पूरी तरह से तटस्थ तथ्य था, जो डी. आर. आई. के साथ अंतर वरिष्ठता का निर्धारण करते समय पी. आर. आई. एस. के खिलाफ काम नहीं कर सकता था।

बी. एस. मृत्यु और ओआरएस। वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

16. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह आग्रह किया गया था कि विधि

पदोन्नति कोटा रिक्तियों की गणना त्रुटिपूर्ण थी। अपीलकर्ताओं का आग्रह है कि कुल रिक्तियों के आधार पर कोटा तैयार किया जाए

हर साल उगता है। इस तर्क का 1979 के नियमों के साथ-साथ 1986 के ओ. एम. द्वारा समर्थन किया गया है। विभाग का रुख है कि कोटा तैयार किया जाना है, न कि रिक्ति रजिस्टर के अनुसार कुल रिपोर्ट की गई रिक्तियों पर, जैसा कि परिकल्पना की गई है।

1986 के ओ. एम. में लेकिन डी. आर. आई. के लिए एस. एस. सी. के साथ रखे गए इंडेंट पर अन्यायपूर्ण है। यह स्थिति ओ. एम. की स्पष्ट शर्तों के विपरीत है। एस. एस. सी. के साथ रखे गए इंडेंट सीधे भर्ती का केवल एक (अन्य के बीच) तरीका है। यह कोटा के निर्धारण का एकमात्र आधार भी नहीं है, क्योंकि कोटा भर्ती नियमों द्वारा तय किया जाता है। अपीलार्थियों के अनुसार विभाग द्वारा 1986 के ओ. एम. की प्रतिबंधित व्याख्या इसे खराब और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगी।

17. यह आग्रह किया जाता है कि 1986 ओ. एम. एक कार्यकारी निर्देश है और

इसलिए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों के अधीन। 1979 के नियमों का नियम 7 विभाग को किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में किसी भी नियम में ढील देने का अधिकार देता है। इस मामले में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने 1984 से 1990 के दौरान सीधी भर्ती रिक्तियों को भरने पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि प्रासंगिक भर्ती नियमों के संदर्भ में विशुद्ध रूप से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों को उनके दायरे से छूट दी गई।

प्रतिबंध। यह उन नियमों के नियम 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती नियमों में ढील देने के बराबर है। अपीलार्थी विभाग के जवाबी हलफनामे के पैरा 5 (1) (सी) और (डी) में दिए गए कथन पर भी भरोसा करते हैं, जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि रिक्तियों को भरने के लिए - पदोन्नति, पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देशों से मुक्त था

भर्ती, निम्नलिखित प्रभाव से।

" ..... केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने तब से स्पष्टीकरण दिया है

कि सीधी भर्ती को भरने पर प्रतिबंध थे

उन रिक्तियों पर आवेदन न करें जिन्हें विशुद्ध रूप से भरा जाना है प्रासंगिक भर्ती नियमों के संदर्भ में पदोन्नति का तरीका।

18. अपीलकर्ता तब विभाग द्वारा दिए गए उत्तरों, प्रश्नों के उत्तरों (दिनांकित 29-08-2007,30-10-2007,13-11-2007 और 28-11-2007) सूचना का अधिकार अधिनियम ("आर. टी. आई".) के तहत बनाया गया। आर. टी. आई. प्रश्न का उत्तर 1 0

9 एसएलपी (सी) 4784/2007 से उत्पन्न सीए 3969-3982/2009 में दिनांक 25 अगस्त 2008 10 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क

बोर्ड [2022] 19 एस. सी. आर. द्वारा 28-11-2007 (F.No.A.60/31/RT1/2007-Ad.IIIB) पर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" सरकार द्वारा सीधी भर्ती रिक्तियों को भरने पर लगाए गए प्रतिबंध उन रिक्तियों पर लागू नहीं होते हैं जो भर्ती नियमों के संदर्भ में विशुद्ध रूप से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं बशर्ते कि संवर्ग के सबसे निचले स्तर में परिणामी रिक्तियों को प्रतिबंध आदेश की अवधि के दौरान नहीं भरा जाता है।

इसी तरह, 13-11-2007 1 1 दिनांकित पत्र दो पहले के अक्षरों, (F. 7 (1)-E को संदर्भित करता है। निर्देशांक/84 दिनांकित 20.06.1984, F. 7 (1)-E-निर्देशांक/86 दिनांकित 20.05.1986 और F. 7 (1)-E-निर्देशांक। 186 दिनांक 15.07.1986), सरकार द्वारा जारी किया गया। भारत सरकार, राजस्व विभाग, इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि "इस दौरान प्रत्यक्ष भर्ती रिक्तियों को भरने पर प्रतिबंध थे

भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में वर्ष 1984-1990। अपीलार्थी अंत में दिनांकित 29.08.2007[12] उत्तर पर भरोसा करते हैं, जिसमें कहा गया है कि

" .....निरीक्षकों के 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटा रिक्तियों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के आधार पर किया गया था। पदोन्नत निरीक्षकों को 25 प्रतिशत के भीतर अच्छी तरह से पदोन्नत किया गया। पदोन्नति कोटा।

इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभाग ने एक

यह गलत धारणा कि पी. आर. आई. के लिए उपलब्ध कोटे के भीतर भी की गई पदोन्नति को इस हद तक अधिक माना जाना चाहिए कि एस. एस. सी. के माध्यम से संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए संकेत नहीं दिए गए थे (या नहीं दिए जा सकते थे)।

19. अपीलार्थियों द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि कोटा नियम की विभाग की व्याख्या असमर्थनीय है, जिसमें इस उद्देश्य के लिए वरिष्ठता की गणना करते हुए, पी. आर. आई. के लिए कोटा को कुल उपलब्ध रिक्तियों का एक तिहाई माना गया और इसे सीधी भर्ती द्वारा भरा गया। यह

यह उन नियमों के विपरीत है, जो स्वतंत्र रूप से कुल रिक्तियों का 25 प्रतिशत कोटा प्रदान करते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस व्याख्या ने, इस तथ्य के साथ कि प्रत्यक्ष भर्ती पर प्रतिबंध के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया गया था, विभाग को कैट के पिछले आदेशों के निर्देशों के साथ-साथ आयुक्त की तथ्यात्मक रिपोर्ट की अनदेखी करने के लिए प्रेरित किया, जो स्पष्ट रूप से मौजूद थी कि संबंधित समय पर बनाए गए रिक्ति रजिस्टर से यह नहीं पता चलता कि प्रत्यक्ष भर्ती रिक्तियों की कोई कम रिपोर्टिंग थी। 11 F.No.A.60/3 1/आर. टी. आई./2007. AD.III.B भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा

12 1 2 एफ. नं. आई/प्रशासन (22) विविध-42/आर. टी. आई. ए./सी. पी. आई. ओ./एम. आई./2007/49 बी. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस.

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रतिवादी डी. आर. आई. एस. और विभाग की दलीलें

20. डी. आर. आई. एस. की ओर से, जो उच्च न्यायालय के समक्ष सफल हुआ, यह आग्रह किया गया था कि विवादित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह बताया गया है कि अंतर वरिष्ठता के सवाल पर कई मौकों पर गौर किया गया है, और विभाग ने वरिष्ठता सूची तैयार करते समय पिछले फैसलों (जो अंतिम रूप से प्राप्त हुए थे) की सही व्याख्या की है।

21. यह आग्रह किया गया था कि पिछली वरिष्ठता सूची (01.1.1992 पर) दिनांकित 15.10.1997 को पी. आर. आई. द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

डीआरआई। इसलिए, पी. आर. आई. एस. उस स्थिति से बेहतर वरिष्ठता की मांग नहीं कर सकता है जो उनकी स्थिति 15.10.1997 की सूची में 1.1.1992 पर थी। यह आग्रह किया गया था कि आवेदकों सहित अतिरिक्त पी. आर. आई. को दिनांकित वरिष्ठता सूची में कोई वरिष्ठता पद नहीं दिया गया था और अपीलकर्ताओं के साथ-साथ अन्य अतिरिक्त पी. आर. आई. ने उक्त वरिष्ठता सूची को चुनौती नहीं दी थी जिसमें उन्हें वरिष्ठता नहीं दी गई थी और उन्हें सबसे नीचे दिखाया गया था।

सूची। 15.10 पर वरिष्ठता सूची को चुनौती नहीं दी है। 1997. इसे केवल डी. आर. आई. द्वारा चुनौती दी गई थी क्योंकि वे उस सूची में अपनी संबंधित रैंकिंग की स्थिति से व्यथित थे। इसलिए पी. आर. आई. संशोधित वरिष्ठता सूची में उन्हें सौंपे गए पदों पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। यह तर्क दिया गया कि कैट इस पहलू पर ध्यान देने में विफल रहा, और यह अभिनिर्धारित किया कि पी. आर. आई. एस. के लिए बाद के चरण में यह तर्क देने के लिए खुला नहीं था कि उन्हें 1991 और 1992 डी. आर. आई. से ऊपर की वरिष्ठता में तय किया जाना चाहिए था। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि रोकने का सिद्धांत उनके खिलाफ काम करेगा।

22. यह आग्रह किया गया कि विवादित निर्णय ने सही ढंग से स्वीकार किया कि रिक्ति रजिस्टर ने सबसे अधिक रिक्ति की स्थिति का संकेत दिया

संवर्ग और इसका उद्देश्य सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों को पदोन्नति का लाभ प्रदान करना नहीं था, विशेष रूप से जब डी. आर. आई. के लिए रिक्तियों के संदर्भ में पदोन्नति की जानी थी। इसलिए, कैट का यह अवलोकन कि केवल कम रिपोर्टिंग/दमन का पता लगाने के मामले में बंचिंग प्रक्रिया को अपनाया जाना था और अन्य मामलों में रिक्तियों की स्थिति की पहचान रिक्ति रजिस्टर से की जानी थी, असमर्थनीय था। यह भी प्रासंगिक है कि अंतर्निहित आधार के विपरीत पी. आर. आई. की दलीलों के अनुसार, 1986 के ओ. एम. के पैरा 4 और 5 के बीच कोई टकराव नहीं है। उच्च न्यायालय ने भी इसकी सराहना की। डी. आर. आई. को प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक मुद्दा यह था कि क्या पी. आर. आई. एस. डी. आर. आई. पर वरिष्ठता का दावा कर सकता है जब वे निर्धारित अनुपात से अधिक पदों पर कब्जा कर लेते हैं, जो बंचिंग प्रक्रिया के अधीन है। संभवतः कुछ पी. आर. आई. को अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया गया और कुछ को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया। यह मानते हुए कि उन्हें [2022] 19 एस. सी. आर. का ठीक से आकलन किए बिना नियमित रूप से पदोन्नत किया गया था।

रिक्तियां, जो वास्तव में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकती थीं

उनकी नियुक्ति की तारीख से, वरिष्ठता केवल तभी निर्धारित की जा सकती है जब रिक्ति स्पष्ट हो। यह हमेशा कोटा नियम के अधीन होता है। 1959 के ओ. एम. में इसका पालन किया गया था, हालांकि, 1986 में एक मामूली बदलाव लाया गया था जिसमें स्लॉटिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और उसी को बंचिंग प्रणाली के साथ बदल दिया गया था। बंचिंग प्रक्रिया में अधिक विचलन के बिना यथासंभव अनुपात को संतुलित करने का प्रभाव होता है और यह एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और हमेशा अधिक पदोन्नति या अधिकता से उत्पन्न असमानताओं को बराबर करता है।

23. उत्तरदाताओं का आग्रह है कि अधिक सीधी भर्ती नहीं की जा सकती है क्योंकि केवल रिक्तियों की जानकारी चयन एजेंसियों को दी जाएगी, जबकि पदोन्नति भी तदर्थ, अस्थायी आधार पर दी जाएगी। वरिष्ठता के निर्धारण की प्रक्रिया में, पदोन्नति की तारीखों में या तो प्रोन्नति संवर्ग में या डी. आर. आई. संवर्ग में शामिल होने की तारीख में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसे पूरी वरिष्ठता सूची को उखाड़ फेंकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जहां तक संभव हो आयोगों या चूक को सही करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह भी सही ढंग से सराहना की कि 1986 के ओ. एम. के पैरा 5 ने बंचिंग प्रक्रिया द्वारा पी. आर. आई. के लिए पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया और बंचिंग चरण से परे किसी भी पदोन्नति को तदर्थ पदोन्नति के रूप में माना जाता था। उच्च न्यायालय ने 1986 के ओ. एम. को सही ढंग से बरकरार रखा और कहा कि इसमें वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सिद्धांत शामिल हैं जब प्रवेश दो स्रोतों से होता है। वास्तव में, बंचिंग प्रणाली में पी. आर. आई. को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लाभ होगा कि जब इंडेंट किया जाता है विभिन्न कारणों से डी. आर. आई. की अनुपलब्धता के लिए रिक्तियों को पूरी तरह से नहीं भरा जाता है, इंडेंट रिक्तियों की सीमा तक आवश्यक पदोन्नति की जाती है।

24. यह तर्क दिया जाता है कि ओ. एम. को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वे हैं और कुछ भी आयात नहीं किया जा सकता है और न ही उनके इरादे के विपरीत व्याख्या की जा सकती है। डी. आर. आई. और पी. आर. आई. के बीच कोटा विशेष रूप से 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तय किया गया है, पी. आर. आई. का कोटा एस. एस. बी. के साथ सीधी भर्ती के लिए दिए गए इंडेंट के साथ सह-संबंधित है। इसलिए, कोटा का स्थायी ताकत से कोई संबंध नहीं है।

या रिक्त पद।

25. यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि एक रिक्ति उत्पन्न हो सकती है, या मौजूद हो सकती है, यह

हो सकता है कि इसे तुरंत भरा न जाए। इसलिए, भले ही प्रत्यक्ष भर्ती कोटा नहीं भरा गया हो, पी. आर. आई. को ऐसे रिक्त पदों के संदर्भ में उनका हिस्सा दिया जाना चाहिए। यह विवाद रिक्तियों की "पहचान" के संबंध में भी उत्पन्न हुआ, चाहे इसका मूल्यांकन विभागों द्वारा या एस. एस. सी. द्वारा दिए गए इंडेंट के आधार पर किया जाता है या रिक्ति रजिस्टर में परिलक्षित रिक्ति स्थिति के आधार पर किया जाता है।

बी. एस. मृत्यु और ओआरएस। वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

वरिष्ठता के निर्धारण के समय प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की पदोन्नति नियमों के तहत कोटा प्रिस्क्रिप्शन के अनुरूप होनी चाहिए, जैसा कि पी. आर. आई. एस. और डी. आर. आई. के बीच है। कैट को यह मानते हुए कि कोटा नियम को तोड़ा नहीं गया था, यह मानना चाहिए था कि पदोन्नति केवल पीआरआई कोटे के अनुपात में विभाग द्वारा एसएसबी के साथ रखे गए इंडेंट के आधार पर दी जा सकती थी और पदोन्नति को रिक्ति पद से संबंधित नहीं किया जा सकता था। बंचिंग प्रणाली शुरू की गई थी ताकि पदोन्नत अधिकारियों के साथ अन्याय न हो। द सेंट्रल सरकार के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा खाली की गई रिक्तियों को भरे जाने के बावजूद, मांग पत्र की सीमा तक, बंचिंग प्रणाली का सहारा लेकर पदोन्नति दी जा सकती है। नतीजतन, पी. आर. आई. एस. के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई।

27. प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिवादी इस अदालत के फैसलों पर भरोसा करते हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम अघोर नाथ डे और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

देविंद्र प्रसाद शर्मा बनाम मिजोरम राज्य 1 4; सूरज प्रकाश गुप्ता बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 1 5 यह तर्क देने के लिए कि इस अदालत ने पहले फैसला सुनाया है कि

13 1993 (3) एससीसी 371 1 4 1997 (4) एस. सी. सी 422

15 2000 (3) एससीआर 807 [2022] 19 एससीआर

जहां कहीं भी लोक सेवकों को उनके कोटे से अधिक पदोन्नत किया जाता है, ऐसी पदोन्नति को नियमों का उल्लंघन करने की सीमा तक अनियमित माना जाएगा। पी. आर. आई. एस. केवल उस सीमा तक पात्र होंगे जब तक डी. आर. आई. नियुक्त किए जाते हैं।

और यह कि शेष या अतिरिक्त पी. आर. आई. को वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाना चाहिए। 28. केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्षों का समर्थन किया है। अपनी ओर से, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

(ए. एस. जी.) सुश्री माधवी दीवान ने आग्रह किया कि डी. आर. आई. और पी. आर. आई. की सापेक्ष वरिष्ठता का निर्धारण डी. आर. आई. एस. और पी. आर. आई. के बीच रिक्तियों के आवर्तन के अनुसार किया जाना चाहिए जो भर्ती नियमों में क्रमशः सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर आधारित होंगे। यह आग्रह किया गया कि अभिलेख स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वर्ष 1983 से 2002 के लिए निरीक्षकों की वरिष्ठता को अंतिम रूप देते समय, दिनांकित वरिष्ठता सूची के अनुसार, एस. एस. सी. को प्रत्यक्ष भर्ती के लिए दिए गए इंडेंट और प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के तहत की गई अन्य नियुक्तियों के संदर्भ में, यानी अनुकंपा के आधार पर, खेल कोटा, रिक्तियों को अलग रखा गया था। आयुक्तालय स्थानान्तरण और अधिशेष प्रकोष्ठ।

29. केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया कि 1986 के ओ. एम. के अनुरूप अपीलार्थियों सहित सभी अतिरिक्त पी. आर. आई. को दिनांकित 15.10.1997 की वरिष्ठता सूची में कोई वरिष्ठता पद नहीं दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने उस वरिष्ठता सूची को चुनौती नहीं दी जहां उन्हें कोई वरिष्ठता पद नहीं दिया गया था और केवल सूची में सबसे नीचे दिखाया गया था, वे नहीं कर सकते

विवादित वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता की स्थिति को चुनौती दें और उनके वर्तमान वरिष्ठता पदों पर सवाल न उठाएं। उनके संबंध में अतिरिक्त पी. आर. आई. के संदर्भ में दिनांकित 15.10.1997 की वरिष्ठता सूची में नोट

वरिष्ठता स्व-व्याख्यात्मक थी, इसलिए, वर्तमान वरिष्ठता सूची के खिलाफ अपीलार्थियों की शिकायत किसी भी योग्यता से रहित थी। वे किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।

30. अंत में यह आग्रह किया जाता है कि अपनाए गए सिद्धांत के अनुसार एस. एस. सी. को वास्तविक नियुक्ति के साथ इंडेंट दिए जाएं।

अनुकंपा आधार, खेल कोटा और रिक्तियों के लिए आरक्षित रखा गया

अंतर-आयुक्तालय स्थानान्तरणों के दौरान इस तरह के अनुबंधों को सीधे भर्ती के लिए रिक्तियों के रूप में लिया जाएगा, यह पाया गया कि 1991-2001 अवधि के दौरान 789 रिक्तियां उत्पन्न हुईं जो इंगित करती हैं कि

विभाग उस अवधि में 264 पदोन्नति का आदेश दे सकता था। इसके बाद 1999 के बाद जिन अधिकारियों को वरिष्ठता दी जानी थी, उन सभी अधिकारियों को बी. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस. में वृद्धि के परिणामस्वरूप रिक्तियों के लिए पदोन्नत किया गया।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रोन्नति कोटा में 25 प्रतिशत से 33 1/3 प्रतिशत तक, उस समय से वर्ष 2000 में पदोन्नति कोटे के तहत सभी रिक्तियों को भरा गया, उन्हें जोड़ा गया और वरिष्ठता दी गई।

विश्लेषण और तर्क

31. विचाराधीन नियम, यानी 1979 के नियम निर्धारित करते हैं कि निरीक्षकों के पद पर भर्ती दो स्रोतों से होती हैः प्रत्यक्ष

भर्ती (संवर्ग के 75 प्रतिशत तक) और पदोन्नति (संवर्ग के 25 प्रतिशत तक)। सात फीडर ग्रेड कैडर पदों से पदोन्नति की जाती हैः अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी)/स्टेनो ग्रेड III; यूडीसी और लोअर के रूप में कुल 13 वर्षों के संयुक्त अनुभव के साथ यूडीसी डिवीजन क्लर्क (एल. डी. सी.); आशुलिपिक ग्रेड II; 12 साल के संयुक्त अनुभव के साथ आशुलिपिक ग्रेड II या ग्रेड III; 7 साल के अनुभव के साथ महिला खोजकर्ता; ग्रेड में सात साल की सेवा के साथ ड्राफ्ट्समैन। नियम उस सिद्धांत के बारे में चुप हैं जिस पर डी. आर. आई. और पी. आर. आई. की अंतर वरिष्ठता तय की जानी है।

32. 1986 का ओ. एम. जो वर्तमान विवाद के केंद्र में है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" कार्यालय स्मारक

विषयः केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सामान्य सिद्धांत।

जैसा कि वित्त मंत्रालय, आदि जानते हैं, केंद्रीय सेवाओं में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांत गृह मंत्रालय के अनुलग्नक में निहित हैं।

ओ. एम. सं. 9/11/55-आर. पी. एस. दिनांक 22-12-1959। उक्त अनुलग्नक के पैरा 6 के अनुसार, प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की सापेक्ष वरिष्ठता का निर्धारण प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच रिक्तियों के आवर्तन के अनुसार किया जाएगा, जो भर्ती नियमों में क्रमशः प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर आधारित होगा। इन सिद्धांतों के लिए स्पष्टीकरण ज्ञापन में कहा गया है कि भर्ती नियमों में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए रिक्तियों के आरक्षण के आधार पर एक सूची बनाए रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार, कहाँ

एक श्रेणी में नियुक्ति 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत निम्न श्रेणी से पदोन्नति द्वारा की जानी है।

प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नति की वरिष्ठता निर्धारित की जाती है -

1 : 1 आधार।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. जबकि उपरोक्त सिद्धांत काम कर रहा था

संतोषजनक रूप से ऐसे मामलों में जहां प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति एक-दूसरे के साथ गति रखती है और भर्ती भी निर्धारित कोटा की पूरी सीमा तक की जा सकती है, ऐसे मामलों में जहां प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति में देरी हुई थी, या जहां पर्याप्त संख्या में प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति उपलब्ध नहीं हुई थी, वरिष्ठता निर्धारित करने में कठिनाई थी। ऐसे मामलों में, वर्तमान में अपनाई जाने वाली प्रथा यह है कि स्थान का अर्थ है

प्रत्यक्ष भर्तियों या पदोन्नतियों के लिए, जिन्हें भरा नहीं जा सका था, खाली छोड़ दिए गए थे, और जब बाद की परीक्षाओं या चयनों के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति उपलब्ध हो गई, तो

व्यक्तियों ने खाली स्थानों पर कब्जा कर लिया, जिससे वे वरिष्ठ हो गए ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही नियमित रूप से ग्रेड में काम कर रहे थे। कुछ मामलों में, जहां लगातार दो या दो से अधिक वर्षों में सीधी भर्ती में कमी आई थी, इसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों की सीधी भर्तियों ने कुछ पदोन्नतियों पर वरिष्ठता ले ली और काफी लंबे वर्षों तक नियमित सेवा पहले से ही उनके खाते में थी। यह मामला उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के समक्ष विभिन्न अदालती मामलों में भी विचार के लिए आया था और कई मामलों में प्रासंगिक निर्णय ने बाद के वर्षों में सीधे भर्तियों की अयोग्यता को सामने लाया था जो लंबे वर्षों के साथ पदोन्नति के लिए वरिष्ठ बन गए थे।

सेवा करते हैं।

3. यह मामला, जिस पर राष्ट्रीय परिषद में भी चर्चा की गई थी, काफी समय से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है और यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों की अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोटा के आवर्तन के सिद्धांत का पालन किया जाएगा, लेकिन बाद के वर्षों में सीधी भर्तियों द्वारा भरे जाने के लिए रिक्त स्थानों को रखने की वर्तमान प्रथा, जिससे उन्हें पहले से ही पदोन्नत होने वाले लोगों की तुलना में अनपेक्षित वरिष्ठता मिलती है।

पद, के साथ वितरित किया जाएगा। इस प्रकार, यदि किसी विशेष क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में प्रत्यक्ष भर्तियां उपलब्ध नहीं होती हैं वर्ष, वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से कोटा का आवर्तन केवल उपलब्ध प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की सीमा तक ही होगा। दूसरे शब्दों में, जिस हद तक सीधी भर्तियां उपलब्ध नहीं हैं, पदोन्नति पाने वालों को नियुक्त किया जाएगा

एक साथ वरिष्ठता सूची के निचले भाग में, अंतिम पद के नीचे जिस तक 3. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस. पर वरिष्ठता निर्धारित करना संभव है।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उपलब्ध होने वाली प्रत्यक्ष भर्तियों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में कोटा के आवर्तन का आधार। हालाँकि, सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा और संबंधित सीधी भर्ती में जोड़ा जाएगा।

कुल के लिए सीधी भर्ती के लिए कार्रवाई करने के लिए अगले वर्ष (और बाद के वर्षों में जहां आवश्यक हो) की रिक्तियां

सामान्य अभ्यास के अनुसार संख्या। इसके बाद, उस वर्ष जहां प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी, वहीं उस वर्ष के लिए कोटा के अनुसार निर्धारित प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के लिए रिक्तियों की संख्या की सीमा तक, अतिरिक्त प्रत्यक्ष भर्तियों का चयन किया जाएगा

पिछले वर्ष की अग्रेषित रिक्तियों के विरुद्ध उस वर्ष के लिए रिक्तियों के आवर्तन के आधार पर वरिष्ठता सूची में अंतिम प्रवर्तक (या प्रत्यक्ष भर्ती, जैसा भी मामला हो) के नीचे रखा जाएगा। यही सिद्धांत बाद के वर्षों में सीधी भर्ती या पदोन्नति कोटा रिक्तियों (जैसा भी मामला हो) को आगे बढ़ाने की स्थिति में वरिष्ठता निर्धारित करने में अच्छा है।

दृष्टांतः

जहां भर्ती नियम पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले ग्रेड में 50 प्रतिशत रिक्तियों और शेष 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा प्रदान करते हैं, और यह मानते हुए कि वर्ष 1986 और 1987 में प्रत्येक में उत्पन्न होने वाले ग्रेड में 10 रिक्तियां हैं और प्रत्यक्ष भर्ती के लिए 2 रिक्तियां 1986 के दौरान खाली रहीं और उन्हें 1987 के दौरान भरा जा सकता था, इन दो वर्षों के पदोन्नतों और प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता स्थिति निम्नानुसार होगीः

1987	
1986	
1. पीएल	
	9. पीएल
2. डी. आई.	
	10.डी. आई.
3. पी2	
	11.पी2
4. डी2	
	12.डी2
5. पी3	
	13.पी3

6. डी3

14.डी3

7. पी4

15. पी4 [2022]

19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. पी5

16.डी4

17.पी5

18. डी5

19.डी6

20.डी7

4. नियुक्ति अधिकारियों को निर्धारित भर्ती के प्रत्येक तरीके के तहत एक वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने में मदद करने के लिए, एक रिक्ति रजिस्टर

वर्ष दर वर्ष उत्पन्न होने वाली और भरी जा रही रिक्तियों का लेखा-जोखा संलग्न प्रारूप में रखा जा सकता है।

5. अधिकारियों को अधिसूचित की जाने वाली रिक्तियों को कम बताने/दबाने की किसी भी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्यक्ष भर्ती के लिए संबंधित, यह स्पष्ट किया जाता है कि बढ़ावा देता है

केवल उस सीमा तक नियमित माना जाएगा जिस तक सीधी भर्ती रिक्तियों की सूचना संबंधित में निर्धारित कोटा के आधार पर भर्ती अधिकारियों को दी जाती है।

भर्ती नियम। अतिरिक्त पदोन्नति, यदि कोई हो, तो उससे अधिक

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अधिसूचित संबंधित आंकड़े के आधार पर पदोन्नति कोटे में आने वाले हिस्से को केवल तदर्थ पदोन्नति के रूप में माना जाएगा।

6. ऊपर निर्दिष्ट 22-12-1959 पर जारी वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांतों को उस हद तक संशोधित किया गया माना जा सकता है।

7. ये आदेश 1-3-1986 से प्रभावी होंगे। इन आदेशों के जारी होने की तारीख को मौजूदा सिद्धांतों के अनुसार पहले से निर्धारित वरिष्ठता को फिर से नहीं खोला जाएगा। जिन रिक्तियों के लिए भर्ती की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है, उनके संबंध में इन आदेशों के जारी होने की तारीख को या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से, वरिष्ठता का निर्धारण पहले से लागू सिद्धांत के अनुसार किया जाता रहेगा। इस ओम के मुद्दे पर।

8. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों को अपने अधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाएं, जिनके पास बी. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस. के सामान्य सिद्धांत हैं।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

ओ. एम. दिनांक 22-12-1959 में निहित वरिष्ठता इस प्रकार है -

2 सप्ताह के भीतर लागू हो जाएगा क्योंकि ये आदेश प्रभावी होंगे।

अगले महीने से।

एस. डी./- भारत सरकार के संयुक्त सचिव

33. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा आवेदन के संबंध में है

1979 के नियमों की पृष्ठभूमि में 1986 के ओ. एम. के खंड 4 और 5 में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत और पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत का प्रावधान है। नियमों के संदर्भ में, दो स्रोतों के लिए अनुपात प्रत्यक्ष भर्ती चैनल से तीन उम्मीदवार हैं और प्रचार चैनल से एक उम्मीदवार का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि डी. आर. आई. और पी. आर. के बीच अंतर-वरिष्ठता तय करने के लिए कोई शासी नियम नहीं है। वह कार्यकारी कार्यालय के अनुसार किया गया था

ज्ञापन।

34. 1986 के ओ. एम. ने कोटा के आवर्तन का सिद्धांत पेश किया।

गुच्छ नियम के साथ। इसकी शर्तों में, जब किसी विशेष वर्ष में, उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध, यदि दी गई संख्या में डी. आर. आई. या पी. आर. आई. उपलब्ध नहीं हैं, तो अंतिम उपलब्ध उम्मीदवार के बाद, किसी विशेष चैनल से, अन्य चैनल या कोटे के उम्मीदवारों को सूची के अंत में और ऐसी वरिष्ठता के साथ जोड़ा जाएगा और इन उद्देश्यों के लिए उन्हें तदर्थ प्रवेशक के रूप में माना जाएगा। वरिष्ठता। ओ. एम. द्वारा अपेक्षित तरीके से वरिष्ठता सूचियाँ तैयार करने का प्रभाव यह है कि किसी विशेष वर्ष में, जब भी नियम के तहत किसी भी स्रोत से नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या को संभावित रूप से इस हद तक तदर्थ माना जा सकता है कि रिक्तियों की सूचना किसी दिए गए वर्ष में एस. एस. सी. को नहीं दी जाती है।

35. इस मामले में सवाल यह है कि क्या डी. आर. आई. के लिए इंडेंट रिक्तियों के संबंध में पी. आर. आई. एस. का अनुपात निकाला जाना है। द.

डी. आर. आई. एस. के वकील ने पक्ष में तर्क दिया है और वरिष्ठता सूची तैयार करते समय सरकार द्वारा भी ऐसा ही किया गया है। सूची तैयार करने के इस तरीके का परिणाम यह है कि यदि किसी विशेष वर्ष में डी. आर. आई. के लिए इंडेंट रिक्तियों की संख्या कम है या रिक्तियां निम्नानुसार हैं। पी. आर. आई. ने 1979 के नियमों के तहत दिए गए वरिष्ठता के अपने अधिकार को खो दिया।

यह कैट के 1988 के आदेश में समाप्त हुआ। चूंकि सीधी भर्तियां नहीं की गई थीं पक्षकारों के रूप में, उन्होंने समीक्षा आवेदनों को प्राथमिकता दी, जिन्हें 1988 के मुख्य आदेश, दिनांक 05.07.1988 के संदर्भ में निपटाया गया था।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. इस आदेश के तहत विभाग को 07.02.1986 के OM को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता सूची तैयार करने की आवश्यकता थी। कैट का आदेश प्राप्त हुआ

अंतिमता जब इस न्यायालय ने 12.03.1990 पर इसके खिलाफ निर्देशित एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

38. मुकदमेबाजी का दूसरा अंग निरीक्षकों की एक अन्य वरिष्ठता सूची (दिनांक 30.04.1993) के प्रकाशन से शुरू हुआ जो 01.01.1992 पर प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच अंतर वरिष्ठता को दर्शाता है। यह सूची 1986 के ओ. एम. के पूर्वव्यापी आवेदन पर आधारित थी; इसे कई आवेदनों और समीक्षा आवेदनों में प्रत्यक्ष भर्ती निरीक्षकों द्वारा चुनौती दी गई थी। इन आवेदनों पर सुनवाई की गई और 12.07.1994 , कैट की पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया। आई. डी. 1 पर, पूर्ण पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि 1986 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। कैट की पीठ जिसने तब सुनवाई की

इसके 13.02.1997 के आदेश के गुण-दोष के आधार पर इसके समक्ष लंबित आवेदन कि 1986 के ओ. एम. को केवल संभावित रूप से लागू किया जा सकता है, और 1959 के ओ. एम. का 1986 के ओ. एम. से पहले की अवधि के लिए पालन किया जाना था। इसने यह भी माना कि कोटा रोटा नियम नहीं तोड़ा गया था, और 1986 के ओ. एम. के बाद नियमित किए गए पी. आर. आई. के मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच की जानी थी और उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जानी थी। इन टिप्पणियों के आलोक में, 30.04.1993 की वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया गया था।

39. समीक्षा याचिकाओं और कुछ लंबित आवेदनों का निपटारा किया गया

सी. ए. टी. द्वारा, 28.07,1999 पर, जब यह देखा गया कि नई वरिष्ठता सूची-तैयार की जानी है, तो उससे पहले प्रत्यक्ष भर्तियों और पी. आर. आई. के बीच परामर्श किया जाना चाहिए, जिनके विचारों पर विचार किया जाना चाहिए और आयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा उचित सिफारिशें की जानी चाहिए। इस आदेश की फिर से समीक्षा करने की मांग की गई थीः हालाँकि, कैट ने अपने स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 30.03.2000 द्वारा उन आवेदनों का निपटारा कर दिया।

40. इन आदेशों के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई

पाँच सदस्यीय समिति द्वारा (जिसने कर्मचारियों के बीच परामर्श और सात बैठकें आयोजित कीं) और 28.03.2000 पर प्रस्तुत किया। मुखिया।

आयुक्त ने (समिति के) अध्यक्ष को इस मुद्दे की फिर से जांच करने के लिए कहा। आई. डी. 1 की अपनी रिपोर्ट में, अध्यक्ष का विचार था कि वरिष्ठता निर्धारित करने और सापेक्ष कोटा के सही आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, ध्यान में रखना आवश्यक था, और खेल कोटे के खिलाफ की गई नियुक्तियों को शामिल करना आवश्यक था, जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए थे, साथ ही अधिशेष प्रकोष्ठों से समायोजित किए गए थे ताकि कर्मचारी चयन बोर्ड को सूचित रिक्तियों के अलावा प्रत्यक्ष भर्तियों के हिस्से के लिए आवंटित रिक्तियों पर पहुंचा जा सके।

प्रमुख बी. एस. मृत्यु और ओआरएस। वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आयुक्त ने समिति के अध्यक्ष से अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की, जो उसने 27.12.2000 पर प्रस्तुत की।

41. वर्तमान रिकॉर्ड से पता चलता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने निरीक्षकों के संवर्ग में रिक्तियों को भरने के संबंध में तीन निर्देश जारी किए थे। दिनांकित 9.3.1988[16] के पहले पत्र में विभाग को प्रत्यक्ष भर्ती के लिए उपलब्ध 20 रिक्तियों में से केवल 12 रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया था। दूसरे पत्र में उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया था कि वे केवल 18 पदों को सीधे भरें 28.2.1989 पर उपलब्ध 37 पदों में से भर्ती। अंतिम, और तीसरा पत्र 1 8 दिनांकित 29.3.1989 ने विभाग को 28.02.1989 तक 27 प्रत्याशित रिक्तियों के खिलाफ प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा केवल 15 रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया। इन तीन पत्रों के संचयी पठन से संकेत मिलता है कि सापेक्ष अवधि के लिए, हालांकि अवधि (1988-89) के दौरान 84 रिक्तियां उत्पन्न हुईं (उपलब्ध थीं), केवल 45 को भरने की अनुमति दी गई थी।

42. दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रासंगिक समय पर, केवल 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती रिक्तियों को अनुकंपा से भरा जा सका

मौजूदा नीतियों के संदर्भ में नियुक्ति। हालाँकि, इसी अवधि के दौरान 50 अनुकंपा नियुक्तियाँ की गईं। इसी तरह, खेल कोटे के तहत नियुक्तियों द्वारा 24 रिक्तियों को भरा गया था। 39 रिक्तियों को अंतर-आयुक्तालय स्थानान्तरण द्वारा भरा गया था। इस प्रकार, डी. आर. आई. के लिए निर्धारित सभी 123 रिक्तियों को इन तरीकों (यानी अनुकंपा नियुक्ति, खेल कोटा और अंतर आयुक्तालय स्थानान्तरण) के माध्यम से भरा गया था।

43. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कुछ वर्षों से डी. आर. आई. द्वारा रिक्तियों को भरने पर आंशिक प्रतिबंध था और इनके अलावा नियुक्तियां भी अलग-अलग तरीकों से की जाती थीं, लेकिन समान सूचना नहीं दी गई थी। इस तरह की प्रथाओं को अपनाने में विभाग की स्थिति निष्पक्ष नियोक्ता की नहीं है; यह स्पष्ट रूप से गलत है। एक ओर विभाग का तर्क है कि पी. आर. आई. की रिक्तियां डी. आर. आई. की रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुपात में होनी चाहिए-एस. एस. सी. के लिए और दूसरी ओर, उसने डी. आर. आई. कोटे के खिलाफ भर्ती की गई रिक्तियों की सही संख्या की सूचना नहीं दी, जैसे कि अनुकंपा नियुक्ति कोटे और खेल कोटे के तहत नियुक्त की गई रिक्तियां। यह किसी का मामला नहीं है, न ही यह हो सकता है कि ऐसी रिक्तियों को पीआरआई के कोटे से भरा गया था। नियुक्तियों को डी. आर. आई. कोटा के साथ समायोजित किया जाना था।

16 F.No.12034/19/SCC 87-Ad.111, B, दिनांक 9.3.1988 17 F. No. ए. 12034/एस. आर./18/एस. सी. सी. 88 Ad.III बी दिनांकित 4.7.1988 18 एफ. सं. ए. 12034/एस. आर. आई. 181 एस. सी. सी. 88 एड. III बी।

[202
2] 19

44.

"

45.

"

46. /84 186

(

(

1

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((ग)

कई रिक्तियां (जो डी. आर. आई. कोटे के हिस्से में आती थीं)

एस. एस. सी. को सूचित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी अनुकंपा नियुक्ति कोटे (50 रिक्तियों और 39 नियुक्तियों की सीमा तक) के खिलाफ भरा गया था।

खेल कोटा;

((घ)

प्रत्यक्ष भर्ती का सहारा लेने के खिलाफ प्रतिबंध, लागू नहीं हुआ

पदोन्नति का सहारा लेने के लिए, इस हद तक, पदोन्नति रिक्तियां मौजूद थीं। यह केंद्र सरकार के हलफनामे के साथ-साथ अभिलेख पर अन्य सामग्रियों से भी स्पष्ट है।

(ई)

आर. टी. आई. के तहत एक सवाल के जवाब में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि पी. आर. आई. 25 प्रतिशत कोटे में की गई पदोन्नति अनुमेय कोटे के भीतर थी।

47. प्रतिवाद करने वाले उत्तरदाताओं और केंद्र सरकार ने विवादित फैसले को सही ठहराया, यह तर्क देते हुए कि पी. आर. आई. एस. के रूप में माना जाना चाहिए

तदर्थ पदोन्नति, 1986 के ओ. एम. के संदर्भ में, क्योंकि पहला, जिस अनुपात में उन्हें पदोन्नति रिक्तियों के लिए नियुक्त किया गया था, वह डी. आर. आई. के लिए उपलब्ध अनुपात से अधिक था, एस. एस. सी. को किए गए अनुरोधों की संख्या को देखते हुए और दूसरा, यह कि यह धारणा नहीं हो सकती है कि पी. आर. आई. को नियमित करने के लाभ में डी. आर. आई. पर वरिष्ठता शामिल होगी, जिन्हें बाद में नियुक्त किया गया था, लेकिन वे अपने वरिष्ठों के रूप में माने जाने के हकदार थे। इन प्रत्यर्थियों ने अघोर नाथ डे और अन्य के मामले में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया है; देविंद्र प्रसाद शर्मा;

और सूरज प्रकाश गुप्ता (सुप्रा)।

48. अघोर नाथ डे में निर्णय वह था जिसमें दावा उन व्यक्तियों द्वारा किया गया था जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी नियुक्तियां दी गई थीं। अवधि, जिसे लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की शर्त में छूट देकर समय-समय पर उनके नियमितीकरण तक बढ़ाया गया था, जो उनकी तदर्थ नियुक्ति की एक स्पष्ट शर्त थी और 1979 के नियमों के तहत नियमित नियुक्ति की आवश्यकता थी। अदालत ने कहा कि यह मानते हुए कि छूट वैध थी, उन्हें छूट पर 26-02-1980 से ही नियमित रूप से नियुक्त माना जा सकता है।

अनुच्छेद 309 के तहत एक ही समय में बनाए गए नियम के आधार पर सहायक अभियंताओं के संवर्ग में स्थितियों और उनके परिणामी अवशोषण

उस तारीख से उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रावधान। ऐसी परिस्थितियों में, इस अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस दावे का कोई आधार नहीं है कि उनके साथ प्रत्यक्ष भर्तियों के बराबर व्यवहार किया जा सकता है, जिन्हें नियमित रूप से 26-2-1980 से पहले नियुक्त किया जाता है।

49. देविंद्र प्रसाद शर्मा में नियमों ने स्थिति को नियंत्रित किया, यह कार्य करते हुए कि अंतर से वरिष्ठता के अनुसार तय किया जाना था यह, नियमों के तहत, दोनों चैनलों के लिए, तिथि बिंदु से लागू होता है। इस अदालत ने कहा कि

" जैसा कि ऊपर बताया गया है, सांविधिक नियम 25 (iii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों की अंतर वरिष्ठता कोटा और आवर्तन के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। तदनुसार, नियुक्ति की संबंधित तिथियों के अनुसार वरिष्ठता सही ढंग से निर्धारित की गई थी। इसलिए नियुक्ति की तारीख के अनुसार आवर्तन पर विचार किया जाना चाहिए।

और नियमों के तहत रिक्ति के अनुसार। अन्यथा, रोटा-कोटा का नियम अनावश्यक रूप से बाधित हो जाता है।

50. सूरज प्रकाश गुप्ता एक ऐसा मामला था, जिसमें सरकार ने शर्तों को संशोधित किया और तदर्थ पदोन्नतियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए उन रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति दी, जिन्हें होना था

प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा। इस न्यायालय ने ऐसी परिस्थितियों में अभिनिर्धारित किया किः

" .....सरकार केवल पदोन्नत लोगों के प्रति सहानुभूति से प्रभावित थी। 1984 के बाद सीधी भर्ती नहीं करके,

प्रत्यक्ष भर्तियों को 20 प्रतिशत की अनुमति देने के बजाय 10 प्रतिशत तक सीमित करके और जूनियर इंजीनियरों को जानबूझकर प्रत्यक्ष भर्तियों के अन्य 10 प्रतिशत कोटे में पदोन्नत करके, राज्य सरकार ने निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया था। प्रत्यक्ष भर्तियों की शिकायत के लिए कोई भी औचित्य है कि राज्य ने आयोग से परामर्श किए बिना सभी तदर्थ पदोन्नति (विद्युत शाखा) को पूरी तरह से मानित छूट के माध्यम से नियमित करने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित किया था।

मनमाने तरीके से, की पूरी तदर्थ सेवा की गिनती

पदोन्नति। प्रत्यक्ष भर्ती कोटे पर उनके अवैध कब्जे पर भी ध्यान नहीं दिया गया। उनकी पात्रता या उपयुक्तता पर विचार नहीं किया गया था। यह संभव है कि जिन लोगों को खराब ए. सी. आर. एस. था, उन्हें भी नियमित रूप से पदोन्नत किया जाता था। प्रत्येक वर्ष के लिए निम्नलिखित कोटा की आवश्यकता का सम्मान नहीं किया गया था। नियमितीकरण आदेश

दिनांकित 2.1.98 इसलिए खराब था और इसलिए सही था

उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। (यह घोषणा सीमित है

सहायक अभियंता और सहायक कार्यकारी अभियंता

(इलेक्ट्रिकल विंग)-जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बिंदु संख्या 2 के तहत कहा गया है)। हम इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। परिणाम यह है कि पदोन्नति पाने वालों को बी. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस. करना पड़ता है।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सहायक अभियंताओं की राजपत्रित श्रेणी में आने के लिए सेवा आयोग के माध्यम से जाएं। सहायक

इंजीनियरों को सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए डी. पी. सी. से गुजरना पड़ता है।

कार्यकारी अभियंता।

51. स्पष्ट रूप से दो निर्णयों (अघोर नाथ डे और सूरज प्रकाश गुप्ता) में पदोन्नति नियमों की अवहेलना में की गई थी; यहां तक कि उनके कोटे से अधिक, और प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के खिलाफ। अघोर नाथ डे में, पदोन्नति पाने वाले का दावा उनसे पहले वरिष्ठता का था। नियमितीकरण-जिसे एक विशेष नियम के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जिसे संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। दावा यह था कि पदोन्नति पाने वालों को वरिष्ठता दी जानी चाहिए, प्रत्यक्ष भर्तियों पर, जिन्हें पहले नियुक्त किया गया था। सूरज प्रकाश गुप्ता में, पदोन्नति कोटा से अधिक की गई थी और जो पद सीधी भर्ती के कारण गिरने चाहिए थे, उनके कोटे में। इन निर्णयों में अनुपात लागू नहीं होता है, क्योंकि इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि पदोन्नति (जिन्हें 1988 में नियमित किया गया था) उनके कोटे से अधिक था। इसके अलावा, विभाग की दलील, विशेष रूप से स्वीकार करती है कि पदोन्नतियों को पी. आर. आई. कोटे के लिए उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था।

52. यह अदालत, के. वी. सुब्बा राव और अन्य में। वी. आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि पदोन्नति और वरिष्ठता की गणना नियुक्ति की तारीख से की जाएगी, न कि उस तारीख से जब रिक्ति उत्पन्न हुई थी। एम. निर्मला बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2 1 एक निर्णय है, जिसमें सरकार ने भर्ती पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। 1974 में कई कर्मचारियों को अस्थायी पदोन्नति दी गई; वे दो साल के बाद ही नियमित पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य थे, बशर्ते कि -

एक परीक्षा उत्तीर्ण करना। उनमें से कई ने छूट की मांग की, जिसे मंजूरी दे दी गई; उन्हें अंततः 1978 में बिना परीक्षण के नियमित कर दिया गया। उन्होंने पदोन्नति की तारीख को पहले की तारीख में स्थानांतरित करने की मांग की, जिसे इस अदालत ने अस्वीकार्य मानाः

" 1973 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती पर प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा लिया गया था। 28 दिसंबर, 1973 को जी. ओ. सुश्री संख्या 725 द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए एक विशेष योग्यता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। इस दौरान की गई अस्थायी नियुक्तियों को नियमित करने की दृष्टि से समूह IV की सेवाएं

20 1988 (2) एससीआर 1118 21 1986 (3) एससीआर 507 [2022] 19 एस. सी. आर.

प्रतिबंध की अवधि। उक्त योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता की शर्तों में से एक, जैसा कि लोक सेवा आयोग द्वारा तय किया गया था, 1.1.1973 पर दो साल की सेवा थी। जैसा कि याचिकाकर्ताओं को अप्रैल, 1974 के बाद नियुक्त किया गया था, उक्त योग्यता परीक्षा में उनके उपस्थित होने का सवाल ही नहीं उठा। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग उक्त परीक्षण में उपस्थित हुए थे, वे सभी नियमित सेवा में लीन थे। जिन अस्थायी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था, उनके प्रतिनिधित्व पर लोक सेवा आयोग ने 9 नवंबर, 1976 को जी. ओ. सुश्री संख्या 787 द्वारा सरकार द्वारा निर्देशित एक और विशेष योग्यता परीक्षा आयोजित की। याचिकाकर्ता उक्त परीक्षा का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि उन्होंने लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित आई. डी. 1 के अनुसार दो साल की सेवा नहीं दी थी।

53. इस अदालत ने एम. सुब्बा रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम 2 मामले में ऐसी स्थिति पर विचार किया जब विभागीय उम्मीदवारों को सीधी भर्ती रिक्तियों के खिलाफ तदर्थ पदोन्नति दी गई थी जब सीधी भर्ती पर प्रतिबंध लागू था। बाद में (इस तरह की पदोन्नति के) नियमितीकरण पर यह तर्क दिया गया कि नियमितीकरण वापस और

कि पदोन्नति पाने वालों को सेवा में प्रवेश करने वाली सीधी भर्तियों पर वरिष्ठता दी जानी थी। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहाः

" सरकार की ओर से केवल निष्क्रियता को यह तर्क देने का आधार नहीं बनाया जा सकता है कि आरक्षण नियम टूट गया है। वर्तमान मामले में, सीधी भर्ती के अभाव में, अपीलार्थियों को सीधी भर्ती पर वरिष्ठता नहीं मिल सकती थी। जहां सरकार या नियोक्ता की ओर से निष्क्रियता है या प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए पदों को भरने में प्रत्यक्ष भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि

कोटा टूट गया है "।

54. उत्तरांचल राज्य और अन्य। v दिनेश कुमार शर्मा 23 एक निर्णय था, जिसमें इस अदालत ने निर्णय दिया कि वरिष्ठता की गणना उस तारीख से नहीं की जानी चाहिए जब रिक्ति उत्पन्न हुई थी, बल्कि उस तारीख से की जानी चाहिए जिस दिन पद पर नियुक्ति की गई थी। ए. एफ. एच. क्यू./आई. एस. ओ. एस. एस. ओ. एस. (डी. पी.) एसोसिएशन और अन्य में निर्णय। V. भारत संघ (UOI) और अन्य 24 विशिष्ट

23 2006 पूरक (10) एस. सी. आर. 1 24 2008 (3) एस. सी. सी. 331 3. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस.

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" 28. एम. सुब्बा रेड्डी और अन्न में। , आदि वी। ए. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य। ए. आई. आर. 2004. एस. सी. 3517, जिस पर श्री एल. एन. राव ने भरोसा किया, पर उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

ए. एफ. एच. क्यू. सिविल सेवा (प्रत्यक्ष भर्ती-राजपत्रित) अधिकारी संघ की ओर से, इस न्यायालय ने ए. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम में सहायक यातायात प्रबंधक (संक्षिप्त में "ए. टी. एम".) और सहायक यांत्रिक अभियंता (संक्षिप्त में "ए. एम. ई".) के पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच अंतर-वरिष्ठता पर विचार करते हुए कहा कि रोटा नियम में अंतर्निहित है। ए. पी. एस. आर. टी. सी. कर्मचारी (भर्ती) विनियम, 1966 के लिए मद 3, अनुलग्नक 'ए' (धारा बी) में निर्धारित कोटा और इससे विचलित नहीं किया जा सकता था। उस मामले में, अपीलार्थी पदोन्नतियों को विनियमन 30 के तहत अस्थायी रूप से ए. टी. एम./ए. एम. ई. के पदों पर पदोन्नत किया गया था क्योंकि कोई सीधी भर्ती उपलब्ध नहीं थी। अनुमोदित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर उन्हें मूल पदों पर वापस भेजे जाने के अधीन पदोन्नत किया गया था। विनियमन

34 (6) यह बताता है कि बाद में वापसी करने वाले होंगे

पदोन्नतियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे के खिलाफ पदोन्नति के लिए विचार किया गया। इसलिए, ए. पी. एस. आर. टी. सी. कर्मचारी (सेवा) विनियम, 1964 के विनियम 3 को भर्ती विनियमों के विनियम 30 और 34 के साथ पढ़ना होगा। यह केवल तभी होता है जब इस तरह की वापसी को इसके अनुसार पुनः प्रचारित किया जाता है।

विनियम 34, उन्हें ए. टी. एम. या ए. एम. ई. के पदों पर नियुक्त किया गया माना जा सकता है। इसलिए, जब अपीलकर्ताओं को अस्थायी रूप से ए. टी. एम./ए. एम. ई. के पद पर मूल रूप से प्रत्यक्ष भर्तियों के अभाव में और प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें पहली बार सेवा विनियमों के विनियमन 3 के अर्थ के भीतर उस श्रेणी में नियुक्त किया गया था। इसलिए, वरिष्ठता के बीच तय किया जाना था

अनुलग्नक 'ए' (धारा बी) की मद 3 में प्रावधान किया गया कोटा। उक्त विनियम 1 का कोटा निर्धारित करते हैं: 1 , जो पुष्टि के लिए रोटा की ओर ले जाता है। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें 1981 से 1987 के दौरान अपने कोटे के भीतर पदोन्नत होने का अधिकार था, जब पदोन्नतियों के कोटे के लिए रिक्तियां उपलब्ध हुईं। उस मामले में अपीलार्थी एम. सुब्बा रेड्डी को नियमित किया गया था 27.12.1986 9.9.1988 दिनांकित आदेश के अनुसार, जब कोई प्रत्यक्ष भर्ती उपलब्ध नहीं थी और इसलिए, यह अनुचित था

निगम सीधे भर्तियों को पदोन्नति पाने वालों से ऊपर रखेगा।

सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि ऐसे मामले में भर्ती नियमों के अनुलग्नक 'ए' की मद 3 (1) में कोटा लागू नहीं होगा; कि उक्त मद केवल कोटा निर्धारित करती है और वरिष्ठता के लिए रोटा नहीं और प्रत्यक्ष भर्तियां अपने चयन से पहले अपने कोटे में रिक्ति की तारीख से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठता से केवल सेवा विनियम, 1964 के विनियम 3 द्वारा निपटा गया था, न कि भर्ती विनियम, 1966 के विनियम 34 द्वारा। कि 15.9.1995 संशोधन को ध्यान में रखते हुए, विनियमन 34 में केवल रिक्तियों के आवंटन का उल्लेख किया गया है न कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए। प्रत्यक्ष भर्ती के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था

वर्ष 1977 से 1988 तक राज्य और इस प्रकार, अनुलग्नक 'ए' की मद 3 में निहित कथित कोटा-और-रोटा नियम

प्रभाव नहीं दिया गया है। इस न्यायालय का बहुमत का विचार था कि जहां सरकार या नियोक्ता की ओर से निष्क्रियता है या प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए पदों को भरने में प्रत्यक्ष भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि कोटा टूट गया है। हम, सम्मान के साथ, विद्वान न्यायाधीशों के इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं कि तथ्यों और

मामले की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए पदों को भरने में प्रतिबंध लगाने में सरकार की ओर से निष्क्रियता के कारण कोटा नहीं तोड़ा गया है। द. उक्त मामले में अपीलार्थियों को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सेवा में नियमित किए जाने के बाद नियमित रूप से पदोन्नत किया गया था। उनकी सेवाओं को उनकी प्रारंभिक तदर्थ पदोन्नति की तारीख से नियमित नहीं किया गया था, बल्कि रिक्तियों के उपलब्ध होने की तारीख से प्रभावी किया गया था। उनकी सेवाओं के बाद

नियमितकरण एक स्टॉप-गैप के माध्यम से नहीं होगा

व्यवस्था करें। अनुलग्नक 'ए' की मद 3 के संदर्भ में वर्ष 1990 और 1991 में नियुक्त किए गए प्रत्यक्ष भर्तियों को उनकी नियुक्ति के बाद ही नियुक्त किया गया माना जाएगा।

प्रशिक्षण का सफल समापन। वे वर्ष 1990-91 में संवर्ग में पैदा हुए थे और इस प्रकार, उससे पहले वे वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते। विद्वान तीसरे न्यायाधीश ने विद्वान दो न्यायाधीशों के साथ असहमति जताते हुए कहा है कि सीधी भर्ती अपनी नियमित नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा कर सकती है, वह उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है जब वह सेवा में पैदा नहीं हुआ था। इस प्रकार, 1990 और 1991 की सीधी भर्तियों को, विवादित वरिष्ठता सूची के कारण, बी. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस. नहीं रखा जा सकता था।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अपीलार्थियों के ऊपर और ऊपर-अनुलग्नक की मद 3 में निहित कथित कोटा और रोटा नियम के कारण पदोन्नति करता है।

नियम निष्क्रिय हो गया क्योंकि सीधी भर्तियां कैडर में होती थीं जब उन्हें रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया जाता था। यह
उनके लिए है "।

पवन प्रताप सिंह बनाम में निर्णय। रीवन सिंह 25 ने इस मुद्दे पर कई पिछले उदाहरणों पर विचार किया, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग में संविधान पीठ का निर्णय भी शामिल है। ऑफिसर्स एसोसिएशन। वी. महाराष्ट्र राज्य "। लोढ़ा, जे. द्वारा निम्नलिखित तरीके से सही स्थिति का सारांश दिया गया थाः

" (i) चयन की प्रभावी तिथि को इस प्रकार समझना होगा -

सेवा नियमों का संदर्भ जिसके तहत नियुक्ति की जाती है। इसका अर्थ वह तिथि हो सकती है जिस दिन चयन की प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने के साथ शुरू होती है या

जैसा भी मामला हो, चयन सूची तैयार करना।

((ii) किसी विशेष सेवा में अंतर वरिष्ठता होनी चाहिए।

सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। किसी विशेष सेवा में प्रवेश की तारीख या मूल नियुक्ति की तारीख एक अधिकारी या दूसरे के बीच या अधिकारियों के एक समूह और विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए दूसरे समूह के बीच वरिष्ठता तय करने के लिए सबसे सुरक्षित मानदंड है। वैधानिक नियमों, कार्यकारी निर्देशों या अन्यथा से कोई भी विचलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

25 2011 (2) एस. सी. आर. 831-बाद में यू. पी. राज्य बनाम में एक दृष्टिकोण का पालन किया गया। अशोक कुमार श्रीवास्तव, (2014) 14 एस. सी. सी. 720 और, हाल ही में, के. मेघचंद्र सिंह बनाम में समर्थन किया। निंगम सिरो (2020) 5 एस. सी. सी. 689 ने कहा कि "वरिष्ठता को पूर्वव्यापी रूप से तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

इस बीच "। इसके अलावा दिनेश कुमार गुप्ता और ओ. टी. एस. बनाम उच्च न्यायालय, राजस्थान 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन (एससी) 420 26 (1990) 2 एससीआर 900 [2022] 19 एससीआर

(iii) आम तौर पर, पिछली तारीख से काल्पनिक वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसा किया जाता है, तो यह उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए।

विचार और एक वैध वर्गीकरण पर और होना चाहिए

वैधानिक नियमों का पता लगाने योग्य।

(iv) वरिष्ठता की गणना रिक्ति होने की तारीख से नहीं की जा सकती है और इसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वरिष्ठता पूर्वव्यापी पर नहीं दी जा सकती है। जब किसी कर्मचारी का जन्म भी संवर्ग में नहीं हुआ हो और ऐसा करने से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया है।

55. एक सहमत राय में, आफताब आलम, जे. ने इस विषय पर अतिरिक्त अधिकारियों के समक्ष निहित स्थिति को दोहराया और कहाः

" मुख्य रूप से इस बिंदु पर निर्दिष्ट निर्णयों के लिए

निर्णय में मैं सूरज प्रकाश गुप्ता बनाम में सिर्फ एक और जोड़ सकता हूं। जम्मू और कश्मीर राज्य (2000) 7 एस. सी. सी. 561]। यह निर्णय प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच वरिष्ठता के विवाद से संबंधित है, लेकिन उस मामले में अदालत ने इस आधार पर भर्ती की तारीख को आगे बढ़ाने के सवाल पर विचार किया कि जिस रिक्ति के खिलाफ नियुक्ति की गई थी, वह बहुत पहले पैदा हो गई थी। निर्णय के पैरा 18 में न्यायालय ने एक बिंदु तैयार किया

मामले में विचार के लिए निम्नलिखित रूप में उद्भूत होनाः

" 18. ..... (4) क्या सीधी भर्तियां उस तारीख से भर्ती की पूर्वव्यापी तारीख का दावा कर सकती हैं जिस दिन सीधी भर्ती में पद उपलब्ध था, भले ही सीधी भर्ती उस तारीख तक नियुक्त नहीं की गई थी और नियुक्त की गई थी

बहुत बाद में?

इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर दियाः

(सूरज प्रकाश गुप्ता मामला)

" प्वाइंट 4

प्रत्यक्ष भर्तियां अपने चयन से पहले कोटा में रिक्ति की तारीख से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती हैं। 80. इसके बाद हम प्रत्यर्थी प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा उठाए गए एक अन्य विवाद का उल्लेख करेंगे। उन्होंने दावा किया कि सीधी भर्ती नियुक्ति को सीधे भर्ती कोटे, यहां तक कि बी. एस. मृत्यु और ओ. आर. एस. में रिक्ति होने की तारीख से पूर्ववत किया जा सकता है।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यदि उस तारीख को उक्त व्यक्ति को सीधे भर्ती नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि पदोन्नति कोटा पर कब्जा कर लेती है

प्रत्यक्ष भर्तियों से संबंधित होने पर जब भी सीधी भर्ती की जाती थी, उन्हें नीचे धकेलना पड़ता था। एक बार जब उन्हें इतना नीचे धकेल दिया गया, भले ही सीधी भर्ती बाद में आई हो, उसे करना चाहिए

जिस तारीख को प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के तहत ऐसा स्थान उपलब्ध था, उस तारीख से सीधे भर्ती स्थान में रखा जाए।

इन फैसलों को दोहराया गया और पी. सुधाकर राव और अन्य मामलों में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में इसका पालन किया गया। बनाम यू. गोविंदा राव और

ओ. आर. एस. 27 ने फैसला सुनाया कि किसी भी नियुक्त व्यक्ति को वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है संवर्ग में उनकी नियुक्ति से पहले की तारीख।

56. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि किसी एक चैनल (प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति) से कोई भी नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति से पहले की तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है। यह कि कानून में स्थिति होने के कारण, अब उन कारणों पर विचार करना आवश्यक होगा जो उच्च न्यायालय के साथ यह ठहराने के लिए वजन करते हैं कि पदोन्नतियों (1988 से नियमित और मूल क्षमता में) को प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए रास्ता बनाना था, जिन्हें 1991-92 में नियुक्त किया गया था। सीधे तौर पर कहा जाए तो, उच्च न्यायालय की राय थी कि 1986 के ओ. एम. के आवेदन पर पदोन्नतियों को उन्हें आवंटित कोटे से अधिक पदों पर कब्जा करने वाला माना जाना चाहिए। अब, वास्तव में अभिलेख की सामग्री यह स्थापित करती है कि ऐसे समय में जब प्रत्यक्ष भर्ती पर प्रतिबंध लागू था (1984-1990 के दौरान) पदोन्नति रिक्तियां थीं। संबंधित आयुक्तालय ने हैदराबाद में दिनांकित 11-06-2007 के प्रश्न के उत्तर में, दिनांकित 30-08-2007 में इस प्रकार कहाः

" इस आयुक्तालय में एक वर्ष में जो भी रिक्तियां हुईं, उन्हें 3 के अनुपात में विभाजित किया गयाः 1 1986 से 1990 की अवधि के दौरान और रिक्तियों का हिस्सा जो प्रत्यक्ष रूप से आता है

भर्ती की सूचना एस. एस. सी. और पदोन्नति कोटा को दी गई थी

रिक्तियों को डी. पी. सी. धारण करके भरा गया था।

उसी पत्र में यह भी कहा गया था किः

" .....25 प्रतिशत पदोन्नति कोटा रिक्तियों को उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के आधार पर समाप्त कर दिया गया।

हर साल।

जवाब में आगे कहा गया कि सभी पदोन्नति नियमित आधार पर की गई थी। इस तर्क का तर्क कि पदोन्नति होनी चाहिए 27 (2013) 8 एससीसी 693 [2022] 19 एस. सी. आर.

पदोन्नति कोटा से अधिक माना जाता है कि सीधी भर्ती के हिस्से में आने वाली रिक्तियों की आवश्यक संख्या एस. एस. सी. को सूचित नहीं की गई थी। इस तर्क के लिए, 1986 ओ. एम. के पैरा 4 और पैरा 5 पर भरोसा किया गया था। पर।

57. जैसा कि स्पष्ट है, पैरा 4 प्रक्रियात्मक है, और एक रिक्ति रजिस्टर की बात करता है, जिसमें "रिक्तियों का चालू खाता" होगा।

58. इसलिए, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पैरा 5, (जो उच्च न्यायालय के फैसले का आधार रहा है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि पी. आर. आई. उनके कोटे से अधिक) एक आकस्मिकता को पूरा करने के लिए था जो सार्वजनिक सेवा में सीधी भर्ती रिक्तियों की रिपोर्ट करने के लिए है

आयोग (इस मामले में, एस. एस. सी.) जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नति के लिए एक अनुचित लाभ हुआ जो ऐसी सीधी भर्तियों पर "एक मार्च चोरी" करेगा, बाद में नियुक्त किया गया। ऐसी आकस्मिकताओं में, यानी कम रिपोर्टिंग वाली रिक्तियों में, पदोन्नति को तदर्थ मानने के परिणाम का सहारा लिया जा सकता था। यदि कोई इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है, तो जांच का सही निर्देश, (जो इस अदालत की राय में कैट द्वारा किया गया था) यह देखना था कि रिक्ति रजिस्टर के विशिष्ट संदर्भ के साथ कोटा के सापेक्ष नियमित रिक्तियों की संख्या क्या थी। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि रिक्ति रजिस्टर

" डी. आर. आई./पी. आर. आई. संवर्ग में रिक्तियों का संकेत देते हैं और इसका उद्देश्य डी. आर. आई./पी. आर. आई. संवर्ग में पदोन्नति का लाभ प्रदान करना नहीं है।

सेवा उम्मीदवार विशेष रूप से जब पदोन्नति होती है

जिन रिक्तियों के लिए आग्रह किया गया है, उनके संदर्भ में प्रभावी

D.R.ls। इसलिए, ट्रिब्यूनल का अवलोकन केवल

गुच्छ प्रक्रिया को अपनाना पड़ा और अन्य मामलों में पदोन्नति की तुलना में रिक्तियों की पहचान की जानी है

रिक्ति रजिस्टर से असमर्थनीय है।

59. जैसा कि चर्चा की गई है, रिकॉर्ड पर सामग्री इंगित करती है कि प्रचार

संबंधित अवधि में रिक्तियां मौजूद थीं। सीधी भर्ती पर प्रतिबंध था। प्रतिबंध के कारण अब अस्पष्ट हैं; लेकिन तथ्य यह है कि यह छह साल (1984-90) से लागू था। इस अवधि के दौरान, निस्संदेह, एस. एस. सी. को सीधी भर्ती बी. एस. मूर्ति और ओ. आर. एस. भरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

रिक्तियां। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा लागू रैखिक तर्क, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि 1986 के ओ. एम. के पैरा 5 के आधार पर, पदोन्नति

उसी अवधि के दौरान किए गए को कोटा से अधिक माना जाना था, क्योंकि वे प्रत्यक्ष के लिए आवश्यकताओं के अनुपात में नहीं थे भर्ती। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि यह कार्यकारी नीति की तुलना करता है-रिक्तियों को नहीं भरने की, वित्तीय या अन्य मजबूरियों के कारण, जानबूझकर कम रिपोर्ट करने के साथ, जिसका परिणाम पी. आर. आई. को अनुचित लाभ पहुंचाना है। वर्तमान मामले में, एस. एस. सी. के माध्यम से सीधी भर्ती नहीं थी।

इसका सहारा प्रतिबंध के कारण लिया गया, न कि कम रिपोर्टिंग के कारण। इस प्रकार,

पदोन्नति कोटा। 60. पी. आर. आई. रिक्तियों का अस्तित्व वस्तुनिष्ठ तथ्य का विषय है-जैसा कि आर. टी. आई. प्रश्नों के उत्तरों से देखा जा सकता है (देखें f.n.10-12 ऊपर)। वे रिक्तियां वैधानिक नियमों के तहत उनके लिए निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे के संदर्भ में पी. आर. आई. के हिस्से में आती थीं। ऐसी परिस्थितियों में, यह कहना कि डी. पी. सी. का सहारा लेकर पदोन्नत किए गए और बाद में नियमित किए गए लोगों को तदर्थ पदोन्नति के रूप में माना जाना चाहिए, व्यक्त नियमों के विपरीत होगा। दूसरे शब्दों में, 1986 के ओ. एम. के पैरा 5 को प्रभावी बनाकर (और पदोन्नति को अंतर-वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिए तदर्थ के रूप में मानते हुए), वैधानिक नियमों को वस्तुतः मंजूरी दे दी जाती है। यह 1986 के ओ. एम. के पैरा 3 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले घोषित उद्देश्य के विपरीत भी है, जो कि "बाद के वर्षों में सीधी भर्तियों द्वारा भरे जाने के लिए खाली स्थानों को रखने की वर्तमान प्रथा है, जिससे उन्हें पहले से ही पद पर पदोन्नत लोगों पर अनपेक्षित वरिष्ठता दी जाएगी"। इसलिए इस अदालत के समक्ष पी. आर. आई. एस. की पदोन्नति को नियमित माना जाना चाहिए। इस अदालत की राय है कि इन पहलुओं की अनदेखी करने में उच्च न्यायालय का तर्क स्पष्ट रूप से गलत है।

61. दूसरा पहलू-जिसे उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया, वह यह है कि कोटा में से कई रिक्तियों को भरा गया था।

अनुकंपा नियुक्ति, और खेल कोटा। उन्हें एस. एस. सी. को सूचित नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, पदोन्नति पाने वालों को अधिक माना जाए उनके लिए अलग रखा गया कोटा (हालांकि वास्तव में, उन्हें कोटे के भीतर समायोजित किया गया था) आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह भी पता चलता है कि हालांकि प्रत्यक्ष [2022] 19 एस. सी. आर. पर प्रतिबंध था।

अन्यथा, यह उन रिक्तियों पर लागू नहीं होता था जिन्हें भरा जाना था

भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति।

62. उपरोक्त कारणों से यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उच्च न्यायालय कैट के आदेश को रद्द करने में विफल रहा, जिसे एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।

इसलिए, यह माना जाता है किः

((i)

1983 की अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त पदोन्नति नहीं हुई। और 1991 में। उस अवधि के दौरान हर साल होने वाली वास्तविक रिक्तियों में से 25 प्रतिशत पदोन्नत लोगों के लिए थीं। कोई सीधी भर्ती नहीं

किसी भी वर्ष के लिए रिक्तियों को पदोन्नतियों द्वारा भरा जाता था।

भर्ती के लिए एस. एस. सी. के साथ दिए गए संकेत/आवश्यकताएँ

((ख)

डी. आर. आई. की संख्या रिक्तियों के एक हिस्से के लिए थी न कि प्रत्येक वर्ष उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों के सटीक 75 प्रतिशत के लिए।

इंडेंट के आधार पर प्रोन्नति कोटा का गलत अनुमान लगाकर इस तरह आगे बढ़ाया गया जैसे कि अतिरिक्त पदोन्नति हुई हो।
सीधी भर्ती के लिए रखा गया;

(iv) (ए) सीधी भर्तियों की नियुक्ति की तारीख वरिष्ठता की गिनती की तारीख-यह नियुक्ति की प्राप्ति की तारीख से नहीं है।

भर्ती अधिकारियों से दस्तावेज़ या सिफारिश की तारीख। परिणामस्वरूप 01.03.86 के बाद नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता को केवल उनकी संबंधित नियुक्तियों की तारीख से संशोधित किया जाना है, लेकिन इससे पहले 01.03.1986 नहीं, जैसा कि विवादित वरिष्ठता सूची में किया गया था।

(ख) 1992 की सीधी भर्तियों को केवल उसी वर्ष वरिष्ठता दी जा सकती थी, लेकिन इससे पहले या 1991 में नहीं, जैसा कि गलती से किया गया था।

विवादित वरिष्ठता सूची में;

(v)

O.A.NO में पाँच आवेदकों की वरिष्ठता. 156/86 मूल रूप से

आदेश के संदर्भ में तय किया गया, बहाल किया जाना था और नहीं किया जा सका

बदला जाए।

(vi) जो लोग अपने लिए उपलब्ध रिक्तियों में किसी भी वर्ष तदर्थ आधार पर पदोन्नत हुए थे, वे एस. मृत्यु और ओआरएस की तारीख से वरिष्ठता के लिए पात्र थे।

वी. ए. रविंदर सिंह और हमारा। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उस वर्ष के अपने पात्र कोटे के भीतर भर्ती नियम;

vii) जो लोग 1983 में शिलांग से बदले गए 17 पदों के विरुद्ध पदोन्नत हुए थे, वे 1959 ओ. एम. के संदर्भ में वरिष्ठता के हकदार थे।viii) 27.10.1988 पर नियमित किए गए 137 पदोन्नतियों में से, उन आवेदकों की वरिष्ठता 1985 में पहले के आदेश के तहत नियमित की गई थी।

1.3.1986 से पहले तय किया जाना है, उक्त पूर्व तिथि पर

1985 में उनका नियमितीकरण;

ix) अस्थायी पदों पर काम करने वाले पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों की वरिष्ठता जो संवर्ग का हिस्सा नहीं हैं, की तारीख से तय की जानी है।

पदोन्नति/नियुक्ति।

53. विवादित निर्णय और आदेश को तदनुसार अलग कर दिया जाता है; पी. आर. आई. द्वारा उपरोक्त निष्कर्षों के संदर्भ में अनुमति दी जाती है। वर्तमान निष्कर्षों के अनुसार, अंतिम y सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के माध्यम से अनुक्रमिक कार्रवाई तीन महीने में पूरी की जाएगी। रिट याचिका का भी उपरोक्त में निपटारा किया गया है।

लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अ.

इराम जान, एलसीआरए द्वारा)